मध्यप्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम की प्रतिवेदित कार्यवाही

स्थान: मानसरोवर सभागार **दिनांक : 10 जनवरी, 2024**

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

चतुर्थ सत्र

बजट प्रक्रिया/आय व्ययक, अनुदान की मांगों पर चर्चा,कटौती प्रस्ताव

(वक्ता) - डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, माननीय पूर्व उपाध्यक्ष संप्रति सदस्य, म.प्र. विधान सभा

सहयोगी- श्री पार्था गोस्वामी, निदेशक लोक सभा

सहयोगी - श्री वीरेन्द्र कुमार, अपर सचिव म.प्र. विधान सभा.

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक, विस. - नमस्कार, माननीय नव निर्वाचित सदस्यों हेतु मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय एवं लोक सभा के संसदीय लोकतंत्र, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के इस द्वितीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा से निवेदन है कि वे माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे.

(माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर द्वारा माननीय राजेन्द्र कुमार सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया.)

उद्घोषक, विस. -- माननीय श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

श्री अवधेश प्रताप सिंह(प्रमुख सचिव, विस.) - माननीय पूर्व विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा जी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें.

उद्घोषक, विस. - माननीय विधान सभा के प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन है वे कि माननीय अतिथियों का शाल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे.

(प्रमुख सचिव, विस. द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा जी एवं श्री पार्था गोस्वामी, निदेशक, लोकसभा का शॉल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया.)

स्वागतोपरांत

उद्घोषक विस. - मैं प्रमुख सचिव महोदय, विधान सभा से निवेदन करती हूं कि वे मंचासीन माननीय अतिथियों के औपचारिक परिचय हेतु सादर आमंत्रित है.

प्रमुख सचिव, विस. - प्रबोधन कार्यक्रम के आज दूसरे दिन इस विशिष्ट आयोजन में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री माननीय कैलाश विजय वर्गीय जी, विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा जी, विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी, सहयोग के रूप में लोक सभा सचिवालय से पार्था गोस्वामी जी, डायरेक्टर और वीरेन्द्र कुमार एडिश्नल सेक्रेटरी मप्र. विधान सभा और यहां सदन में उपस्थित सम्माननीय मंत्रीगण, विधान सभा सदस्यगण, उपस्थित मीडिया प्रतिनिधि और महानुभाव. पुन: आज इस दूसरे दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है. निश्चित तौर पर कल का जो प्रबोधन कार्यक्रम था वह बहुत ही प्रभावी था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था कि सतत रूप से हमारे सत्र चले और कल शाम तक सभी माननीय सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे. आज भी बहुत अच्छी उपस्थिति प्रतीत हो रही है, यह माननीय अध्यक्ष महोदय की गरिमा का प्रभाव है कि सदस्यगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पधार रहे हैं. मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आज के जो प्रथम मुख्य वक्ता है. मैं माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूं. हालांकि हम सभी उनसे परिचित हैं, वे वर्ष 1980 में प्रथम बार सातवीं विधान सभा में निर्वाचित हुए थे और फिर सतत रूप से पांचवी बार इस बार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं और आप दसवीं विधान सभा में मंत्री वाणिज्यक कर, उद्योग एवं पर्यावरण विभाग भी रहे और 1998 में आप उत्कृष्ट मंत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे. आपने 14 वीं विधान में मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था और आज आप बजट प्रक्रिया के संबंध में अपना व्याख्यान देंगे, इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ मैं माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी को अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष एवं संप्रति सदस्य, म.प्र. विस. - भारत की लोक सभा और मध्यप्रदेश की विधान सभा तथा प्राइड संस्था के संयोजन में आयोजित इस प्रबोधन

कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ राजनेता और विधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नरेन्द्र सिंह जी तोमर, विधि और विधायी कार्य मंत्री और ये भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है और हमारा इस बार सौभाग्य है कि बहुत से सीनियर लोग जो राष्ट्रीय पटल पर काम कर चुके हैं, शोभा बढ़ा चुके हैं, अपनी दक्षता का प्रमाण दे चुके हैं, इस मंत्री परिषद में हैं और सदन के सदस्य है, हर दिल अजीज आदरणीय कैलाश विजय वर्गीय जी, विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और बड़े ही विद्वान और विषय के ज्ञाता आदरणीय डॉ. सीतासरन शर्मा जी, लोक सभा से आए हुए आदरणीय पार्था गोस्वामी जी, हमारी विधान सभा के प्रमुख सचिव सम्मानित अवधेश प्रताप सिंह जी, बीरेन्द्र कुमार जी और आज इस प्रबोधन कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मध्यप्रदेश सरकार के सभी उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों और यहां उपस्थित सभी आदरणीय देवियों और सज्जनो. बजट पर बोलना, मैं समझता हूं सारी फेहरिस्त में देख रहा था, जो जो विषय दिए गए हैं, जिन पर एक से एक बड़े विद्वान बोलेंगे, कुछ बोल चुके हैं. ये अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य है, वास्तव में बजट का ज्ञाता, वित्त विषय के ज्ञाता तो ज्यादातर वित्तमंत्री रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अवधेश प्रताप सिंह जी ने, या तो वे मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं या अन्यथा कोई बात है, ऐसा विषय दे दिया है कि उस पर बोलना चुनौतीपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन मैं उस विषय के साथ थोड़ा सा न्याय जरुर करुंगा और जो कुछ भी अपने अनुभव है या पठन-पाठन से जानकारी हासिल की है, उसको आप सभी के विचारार्थ यहां रखूंगा. हो सकता है कि बहुत सी चीजें मुझे न भी बोलनी पड़े, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से क्षमा चाहता हूं. अध्यक्ष जी तो अत्यंत विद्वान है. कल एक उपमा दी जा रही थी कि विचलित सागर में इनका जो जहाज है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक पूरी यात्रा करके दुनिया की फिर अपने प्रदेश लौटे हैं. उनका व्यक्तिव प्रशांत सागर जैसा गहरा है और हिमालय जैसा ऊंचा है, कल में था जब उनका उद्बोधन चल रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे अपने अनुभव बताये, हमें मार्गदर्शन दिया और किस तरह से विधायकों को अपनी बात रखनी चाहिए, यह उन्होंने बताया और बहुत अच्छा लगा यह सुनकर कि बात बड़ी शिष्टता से सही है, जोरदार तरीके से उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है और क्रोध भी आये, लेकिन वह क्रोध अंदर न उपजे, दिखे, यह भी बात उन्होंने हमें बताई है, यह बड़े महत्व की बात है और यह भी उन्होंने कहा था शीतला सहाय जी से मिलने का उन्होंने उदाहरण दिया और मैं सहमत हूं उस बात से कि पहली

शिक्षा तो वही होती है कि एक पूरे सत्र में न बोले कुछ, तो भी चलेगा लेकिन अगर रोज आप उपस्थिति दर्ज करायें, सदन में जो वाद विवाद चल रहा है, प्रतिवाद चल रहा है उसको सुने, किन नियमों के तहत वह बातें उठाई गई हैं, क्या-क्या अवसर आपको बोलने के लिये मिल सकते हैं, चूंकि आप सब बुद्धिमान है, लाखों जनता ने आपको चुनकर भेजा है और आज का शैक्षिक स्तर माननीय विधायकों का पहले से बहुत बढ़ गया है तो आप स्वयं समझ जायेंगे और आपका परफार्मेंस जो है, वह बेहतर होने लगेगा. मध्यप्रदेश के गठन के बाद से 1 नवम्बर, 1956 से कई सरकारें आईं और जब से मैंने होश संभाला, चूंकि मैं भोपाल में ही पढ़ता था, स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया, तो एक से एक प्रतिभाशाली और धाकड़ मुख्यमंत्रियों को भी देखा, अध्यक्षों को भी देखा. पंडित द्वाराकाप्रसाद मित्र जी के कार्यकाल को भी देखा, जिनमें जल्दी लचीलापन आता नहीं था, कैसी भी परिस्थितियां सामने हों, संविद काल देखा, श्यामाचरण जी को देखा और पी.सी.सेठी साहब बहुत अच्छे और कड़े प्रशासक थे, उनका कार्यकाल देखा, माननीय अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल देखा बड़े गंभीर व्यक्ति, बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे और जो वह लिख देते थे, तो यह समझ जाईये कि उसका पालन अनिवार्य होता था और ब्यूरोक्रेसी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं कोई आलोचना नहीं करता, कार्यपालिका हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन एक दबदबा उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहता था, पता नहीं कारण क्या थे, लेकिन शायद मैं समझ सकता हूं कि जब वह संवाद करते थे, तो वह कलेक्टर, एस.पी. और प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद बहुत कम करते थे, जो भी कहना होता था, तो उनके जो प्रमुख सचिव हैं, उनको निर्देश दिया जाता था और प्रमुख सचिव उनको कम्यूनिकेट करते थे, तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनमें काफी विश्वास रहता था कि मुख्यमंत्री आया है, तो वह पहले हमारी बात सुनेगा बाद में अधिकारियों से मिलेगा, यह पंरपरा कुछ आगे चलकर टूटी और शायद समय की मजबूरी है, युग परिवर्तनशील है, तो वह भी हमने देखा. सुंदरलाल पटवा जी का कार्यकाल भी देखा मैं पहली बार विधायक चुनकर आया था और माननीय पटवा जी प्रतिपक्ष के नेता थे इतना तीखा भाषण होता था, उनकी बात

सीधे दिल पर लगती थी, वह तीर निशाने पर लगता था और उनका बड़ा सम्मान था और यह जान लें अगर आपका हाउस में परफार्मेंस अच्छा रहेगा, आप सार्थक बातें करेंगे तो अन्य साथी तो ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही भी आपका सम्मान करेगी तो पटवा जी का कार्यकाल देखा. लेकिन आज शायद कहने को उपयुक्त अवसर नहीं है, पर मैं कह दूं, दिल की बात है, बहुत सारे वह शब्द जो उस जमाने में उपयोग होते थे, वह आज अगर उपयोग किये जायें तो आप कार्यवाही से उनको निकाल देंगे, वह असंसदीय हो चुके हैं. मैं असम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस व्यवस्था, उस परंपरा, उस समय, उस कालखंड की बात मैं कर रहा हूं. फिर दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल देखा, उमा जी आईं, गौर साहब आये, शिवराज जी आये और अब हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉ.मोहन यादव जी हैं, जिनसे न सिर्फ विधायकों को बल्कि प्रदेश की पूरी जनता को बड़ी उम्मीदें हैं.

दूसरी सरकारों की आलोचना करना बड़ा सरल होता है और हम अपनी लाईन को बढ़ाने के बजाय, दूसरे की लाईन को मिटाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, मैं समझता हूं यह नहीं होना चाहिए, सभी सरकारों ने काम किया, उस समय की जो परिस्थितियां थीं, जो मानिटेरी स्थिति थी, आप देख लीजिये वर्ष 1947 में जब पहला बजट शनमुघम चेट्टी साहब ने 21 नवम्बर को प्रस्तुत किया था तो मात्र वह 197.29 करोड़ रूपये का था और उसमें डिफेंस के लिये, लगभग आधी राशि फौज के लिये 92.74 करोड़ होती थी. वह परिस्थितियां भिन्न थीं,अग्रेंज कंगाल कर गये थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बाद से निरंतर प्रगति के पथ पर हमारा देश आगे बढ़ता रहा. एक समय विकास की दर जो शून्य हुआ करती थी, वह धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आठ, साढ़े आठ प्रतिशत तक भारत सरकार ने छू ली है. मध्यप्रदेश सरकार तो हमारी दस प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है. मामूली उतार चढ़ाव आता रहता है और इस वर्ष 2023-24 के लिये जो आईएमएफ के प्रिडिक्सन है, उसमें लगभग 7.6 प्रतिशत विकास की दर अनुमानित है, 7.6 प्रतिशत अगर हम समग्र रूप से देखें विश्व के पटल में तो यह कम नहीं है, यह बहुत बड़ा होता है.

आज कुछ देश हैं, जिनकी विकास की दर एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, यह कुछ नेगेटिव भी हैं और उससे यह संकेत भी मिल रहा है कि आगे चलकर रिसेशन दुनिया में न आये, जो हम पहले देख चुके हैं, अब एक चीज में ओर क्लीयर करना चाहता हूं अपनी और बातें करने के पहले, यह बड़ी चर्चा होती है जनता में और सब दल अपने अपने चश्में से चीजों को देखते हैं, जब कोई विपक्ष में रहता है, तो दूसरी बात करता है, सत्ता पक्ष में आता है तो नजरिया बदल जाता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है हमारा जनता की सेवा और प्रदेश का विकास, एक ही लक्ष्य है. बहुत ज्यादा आलोचना होती है कि मध्यप्रदेश के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है और आंकड़े के हिसाब से देखें तो वास्तव में आज की स्थिति में लगभग 3 लाख 40 हजार करोड़ रूपये मध्यप्रदेश के ऊपर कर्ज है, लेकिन जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FRBM Act Fiscal Responsibility and Budget Management Act जिसे कहते हैं, इसमें टोटल जीडीपी का साढ़े तीन प्रतिशत तक खर्च करने के लिये बजट के लिये प्रावधान किया है, ऋण लेने के लिये किया है और अगर हमारा फाइनेंशियल मेनेजमेंट अच्छा है तो उसे 4 प्रतिशत तक रिजर्व बैंक अनुमति दे देती है, कभी हमारी सरकार वहां तक नहीं पहुंची है. अब कर्ज की गंभीरता कितनी है अगर माननीय अध्यक्ष जी सहमति दें तो कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी पेश कर दें ताकि हमें संतोष हो कि हम कहां खड़े हैं. आज सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है, मैं क्षमा चाहते हुये अपने इस प्रबुद्ध आडियंस से पूछना चाहता हूं (आडियंस से आवाज आई अमेरिका) राइट, यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज लोकतंत्र का सरताज अपने आप को कहता है सबसे विकसित राष्ट्र और आर्म्स के क्षेत्र में दुनिया में एक प्रतिस्पर्धा कायम रखता है ताकि उसके उद्योग चल सकें, उसके ऊपर कर्ज 34 ट्रिलियन डालर का है अब कहें तो मैं इसे रूपये में केलकूलेट करूं तो लंबा हो जायेगा और उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वह मात्र 26 ट्रिलियन डॉलर है यानी 34 ट्रिलियन डॉलर कर्ज, 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो जीडीपी का कितना हिस्सा हुआ 122.9 प्रतिशत, इतने बड़े कर्जदार हैं यह लोग, देवड़ा जी को संतोष हो रहा होगा, वित्त आप ही देख रहे हैं (सामने बैठे वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने कहा "जी") देवड़ा जी को बहुत संतोष हो रहा होगा. जापान उससे भी आगे है, हम उसको इतना विकसित राष्ट्र मानते हैं, सामाजिक क्षेत्र में इतनी बेहतरीन योजनायें हैं, जापान की सरकार हर व्यक्ति का ख्याल रखती है, उनका कर्ज 9.2 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी मात्र 4.26 बिलियन डॉलर है यानी जीडीपी का 262 प्रतिशत कर्ज है, यह सुनने में विश्वसनीय नहीं लगता, मगर है आप आंकड़े उठाकर देख लीजिये. जर्मनी में भी जीडीपी

का 58 प्रतिशत कर्ज है टोटल जीडीपी, यह सब देश हमसे आगे हैं जीडीपी में, हम पांचवें स्थान पर आते हैं. हमसे आगे काफी आगे चीन भी है उसकी जीडीपी 19.76 ट्रिलियन डॉलर है और कर्जा 12.58 ट्रिलियन डॉलर है यानी जीडीपी का 58 प्रतिशत कर्ज चीन के ऊपर भी है, लेकिन आप सब जानते हैं प्रबुद्ध लोग हैं कि चीन के वास्तविक आंकड़े बाहर आ नहीं पाते तो अगर इतना चीन सरकार स्वीकार कर रही है तो अंदर उसकी स्थिति खराब है और हम सब जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर थोड़ी बहुत नजर रखते हैं कि बड़ी विस्फोटक स्थिति है और आगे चलकर चीन का गुब्बारा फूटेगा, ऐसा प्रतीत होती है.

अब हमारे भारत का सवाल आता है, हमारे भारत का जो कुल जीडीपी का कर्जा है 57.1 प्रतिशत यानी इन सब राष्ट्रों से कम है और जापान और अमेरिका से तो बहुत कम है. 3.72 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनामी है जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन डॉलर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं. कर्ज 155 लाख करोड़ का है और अब हम अपने मध्यप्रदेश को देखें यह सब हमने देखा, हम कहां पर हैं. मध्यप्रदेश में हमारी जो जीडीपी है पिछले वर्ष 2023-24 की 13.87 लाख करोड़ की है, कर्ज हमारे ऊपर जैसा मैंने पहले बताया 3.50 करोड़ है यह जीडीपी का मात्र 20 प्रतिशत है, देवड़ा साहब आप हिम्मत रख सकते हो क्या, मात्र 20 प्रतिशत और हमारी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 55 हजार रूपये, भारत की 1 लाख 77 हजार रूपये है तो इस दिशा में हमें और आगे तेजी से प्रयास करने की जरूरत है. अभी कुछ आंकड़े मैंने इसलिये दिये कि हम कहां खड़े हैं यह हमें मालूम होना चाहिये. संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है जैसा आप जानते हैं और कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में काम करती है और हमारी विधायिका के जो प्रमुख कार्य हैं लोगों ने बतायें हैं, मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं, बजट पर नियंत्रण, कानून बनाना और कानून बने और उसके नियम भी जल्दी बन जायें यह हमारी कोशिश होनी चाहिये. कल बड़ा असहज हुआ मैं जब लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कई ऐसे कानून बने हैं जिनके नियम आज तक 2 साल बाद भी नहीं बन सके तो जब तक नियम नहीं बनेंगे आप उस कानून को लागू कैसे करोगे, गजट नोटिफिकेशन होता है, फिर वह लागू होता है और प्रदेश के विकास के लिये जनता के हित के लिये कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण यह हम सब विधायकों की भूमिका होती है और विधान सभा में जो प्रक्रिया है वाद, संवाद लोग वाद विवाद कहते हैं मैंने उसको अपनी शब्दावली में संशोधन कर दिया है, हम उसको विवाद क्यों कहें, वाद संवाद, विभिन्न विषयों पर चर्चा और मतदान यह हमारा विशेषाधिकार है यह हम विधान सभा में कार्य करते हैं. बिरला साहब का मैं कल भाषण सुन रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की

थी, बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बातें रखीं, बड़े अनुभवी राजनेता हैं देश के, लोक सभा के, माननीय स्पीकर तो हैं ही, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र भारत की जनता की रगों में है, यह वर्ष 1947 के बाद से नहीं आया, यह पहले से है, मूल भावना है, सोच है और मौर्यकालीन युग में जनपदें हुआ करती थीं अभी मुझे स्मरण आया कि जनपदें भी हुआ करती थीं मौर्यकालीन युग में, यानी हमारे यहां लोकतंत्र है. अब जो हम चर्चाओं में बजट के दौरान भाग लेते हैं बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जिनके बारे में अन्य वक्तओं ने आपको बताया होगा और यहां शेष बचे सत्र में बतायेंगे.

वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट के बाद बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा विभागों की, फिर विनियोग विधेयक जिससे कानून बनता है उस पर चर्चा और वित्त विधेयक जिसे बजट पास करने के तत्काल बाद लाया जाता है वित्त विधेयक और बजट में भी तीन हिस्से होते हैं एक अनुपूरक है जो पिछले साल अधिक खर्च कर लिया है वह अनुपूरक आता है मुख्य बजट आता है उसके बाद लेखानुदान विशेषकर जब चुनाव होते हैं उन वर्षों में लेखानुदान लेती है सरकार दो-चार महीने के खर्च के लिये लेकिन इस बार चुनाव के बावजूद कल ही मैंने देखा समाचार पत्रों में कि बजट सत्र सरकार के द्वारा आहूत किया गया है. यह अच्छा कदम है लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में, अब जब बजट पर सामान्य चर्चा होती है इसमें सभी सदस्यों को चर्चा करने का अवसर मिलता है और आधार होता है जो बजट वित्त मंत्री जी पेश करते हैं उसका जो साहित्य मिलता है उसको हम देखते हैं पढ़ते हैं और फिर बजट पर चर्चा होती है. जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन चर्चा नहीं होती. अध्यक्ष जिस दिन निर्धारित करते हैं उस दिन चर्चा होती है और एक महत्वपूर्ण समिति है हमारे यहां कार्यमंत्रणा समिति जिसकी अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष करते हैं उसके सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके समूहों से कुछ सदस्यों को अध्यक्ष जी नॉमीनेट करते हैं और यह कार्यमंत्रणा समिति इतना ही करती है कि किस विभाग के लिये कितना समय चर्चा के लिये देना है और अपेक्षा की जाती है कि इतने समय में अपनी बात रख लें. उनके दल के द्वारा,दल के नेताओं के द्वारा आसंदी को सूची दी जाती है और उससे अपेक्षा रहती है कि उनको समय मिलेगा. मिलता भी है. उदार होती है बड़ी आसंदी और यह बात को समझ लें कि आसंदी ही हम सब विधायकों की ताकत है.हम उसे जितना सम्मान देंगे. जितना आदर देंगे उतनी ही ताकत हम लोगों की भी बढ़ेगी. यह हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि समय-सीमा में अपनी बात करना चाहिये लेकिन समय अधिक हो ही जाता है. समय जितना रहता है उससे ज्यादा लोग बोल जाते हैं. नये-नये सदस्य जुड़ जाते हैं और यह सब क्रम चलता है. कटौती प्रस्ताव जिन सदस्यों ने दिये हैं उनको भी बोलने का

मौका मिलता है. वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण की समीक्षा,आलोचना करने का पूरा अधिकार सदस्यों को रहता है और इसके पश्चात् बजट पर माननीय वित्त मंत्री जी अपना भाषण देते हैं और बातें आगे बढ़ती हैं फिर अनुदान मांगों पर अलग-अलग विभागों पर चर्चा शुरू होती है. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है. चूंकि सब माननीय विधायक बजट की किताबें पढ़ते हैं और हम भी जब पहली बार विधायक बने तो बहुत जल्दी रहती है कि अपने क्षेत्र के लिये क्या है उसमें. तो वह सब देखकर विधायक लोग चर्चा में अपनी बातें अनुदान मांगों के समय रखते हैं और उस विभाग में कितना बजट है यह सारा ब्यौरा दिया जाता है और शासन को सुझाव,मंत्री को सुझाव सदस्य लोग दिया करते हैं. माननीय अध्यक्ष द्वारा चर्चा पश्चात् अलग-अलग मांग संख्या पर मत लिया जाता है और यहां सदस्यों की जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है. मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि 1967 में कांग्रेस की सरकार थी. मिश्र जी मुख्यमंत्री थे और शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर सरकार गिर गई पास नहीं हो पाई और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और संविद सरकार बनी लेकिन आज यह वृहद संस्था देखते हुए यह संभावनाएं तो क्षीण है लेकिन ऐसा वाकया हुआ था. तो मेरे दिमाग में बात आई. मैंने आपके सामने रखी और जब समय अधिक हो जाता है. चर्चा हमेशा नहीं चल सकती है क्योंकि बहुत सारे कार्य विधान सभा को करने होते हैं तो अध्यक्ष जी, जो मांगें रह जाती हैं जिन पर चर्चा रह जाती है उनको गिलोटिन कर देते हैं. अर्चना जी जरूर जानेंगी यह बहुत विद्वान हैं. पढ़ती बहुत हैं. यह फ्रेंच शब्द है. जब फ्रांस में क्रांति आई और तमाम जनता वहां पैलेस के सामने लाखों की संख्या में इकट्ठी हुई और कह रही थी कि डबल रोटी चाहिये भुखमरी थी तो रानी ने ऊपर बालकनी से निकलकर कहा कि डबल रोटी नहीं है तो केक खाईये. इतनी जनता क्रुद्ध हुई. पकड़कर ले आए और रानी का सिर लकड़ी के खांचे में रखा और एक झटके में अलग कर दिया, यानी गिलोटिन हो गया तो अध्यक्ष जी बहुत से विभागों की मांगों को गिलोटिन कर सकते हैं समय की कमी को देखते हुए. विनियोग विधेयक, महत्वपूर्ण है संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्ताव पारित होने के बाद बजट के, विनियोग विधेयक आयेगा और इसी के तहत फिर भारत सरकार की समेकित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है. विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने पर कोई विरोध नहीं किया जा सकता.अध्यक्ष जी, एक बार पढ़ देंगे तो वह प्रस्तुत माना जायेगा क्योंकि सदन जब बजट प्रस्ताव पास करता है तो सारी चीजें चर्चाएं में आ जाती हैं तो उसका कोई औचित्य भी नहीं रहता है और विनियोग विधेयक पर सीमित दायरे में चर्चा होती है और अध्यक्ष जी यह भी मांग करते हैं कि आप चर्चा क्या करना चाहते हैं और आपकी चर्चा को स्वीकार या न करने, आपके विषय को अस्वीकार अध्यक्ष जी कर सकते हैं. जिस दिन विनियोग

विधेयक रखा जाता है उस दिन सामान्यत: चर्चा नहीं होती लेकिन कई ऐसे वाकये सदन में आये हैं कि नियमों को शिथिल करके आसंदी ने उसी दिन चर्चा नहीं कराई. हमने दोनों परिस्थितियां देखी हैं अलग-अलग सदनों में. वित्त विधेयक, जैसा मैंने कहा तत्काल बाद प्रस्तुत किया जाता है बजट के और इसकी भी अनुमति का विरोध नहीं किया जा सकता न वित्त विधेयक का न विनियोग विधेयक का. वर्ष में दो बार अगर बजट प्रस्तुत होता है तो वित्त विधेयक दो बार लाना पड़ता है अगर एक ही बार प्रस्तुत है तो एक ही बार आयेगा और वित्त विधेयक का उद्देश्य वर्ष के जो खर्चे हैं उस पर आवश्यक करों पर चर्चा तथा मतदान कराना होता है. इसमें ऐसे समस्त करों पर विचार किया जाता है उनका अनुमोदन किया जाता है जो पहली बार लागू किये गये हैं जिनमें आगामी वर्ष में वृद्धि की जा रही हो या उस अधिनियम के अधीन जिनके द्वारा लागू किये गये थे. वित्त विधेयक अधिनियम बन जाने के पश्चात् यह सुनिश्चित होता है कि प्राप्त करों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा. अब चर्चा के विषय क्षेत्र कई हैं. हमारी निर्देशिका में इस वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का समय भी निर्धारित है. 75 दिन की अवधि नहीं बीतना चाहिए, उससे पहले ही करना चाहिए. फिर पूरक और आधिक्य संबंधी सप्लीमेंट्री बजट, जिसका मैंने उल्लेख किया, वह भी आता है. इन मांगों पर सदन में चर्चा होती है, लेकिन सामान्यत: मंत्री प्रस्ताव नहीं रखते हैं. अध्यक्ष मांगें सदन में रखते हैं, संबंधित मंत्री द्वारा आवश्यक रूप से सदन को बताना होता है कि ये मांगें क्यों रखी गई हैं. अनुदान की पूरक मांगों या अनुदान के लिए अतिरिक्त मांगों में सत्र में प्राप्त प्रस्तावों की सूचना जो प्रस्तुत कर दी गई हों, लेकिन उन पर चर्चा न की जा सकी हो, यह ध्यान रखें. उसके सत्रावसान में व्यपगत या समाप्त मानी जाती हैं. अगले सत्र के लिए नई सूचनाएं देनी होती हैं.

बजट साहित्य के बारे में मैंने उल्लेख कर ही दिया है. उसमें बहुत जानकारियां होती हैं. एक रुपये का एक बेस लेते हैं, उस एक रुपये से कहां से कितनी राशि आएगी, फिर एक रुपये में ही कितनी-कितनी राशि किस विभाग में कहां खर्च होगी, इसका ब्यौरा हो जाता है तो बड़े सहज रूप से हम लोगों को पूरे बजट में आय और व्यय की जानकारी मिल जाती है. वित्त सचिव का स्मृति पत्र है. यह बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है. केन्द्र से कितना अनुदान मिला, ऋण मिला, विदेशों से मिलने वाली जो राशि है, संक्षिप्त रूप से ये सारे विवरण होते हैं. फिर पारित मतदेय व्यय, यह विषय आता है. एक आर्थिक सर्वेक्षण है, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वह पुस्तिका आप सब माननीय विधायकगण अवश्य पढ़ें. चूँकि उसमें सरकार के आर्थिक स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रहती है और अगर उस दस्तावेज को आप पढ़ लेंगे तो बहुत जानकार हो जाएंगे. यह खासकर विपक्ष के

विधायकों के लिए ज्यादा काम आता है. पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा कार्पोरेशन, कौन सा विभाग अपनी राशि खर्च कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. कहां गलत व्यय हो रहा है. फिर विनियोग लेखें, यह वित्त विभाग की दक्षता की जानकारी देता है. माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं. अंत में अपनी बात मैं समाप्त ही कर रहा हूँ. कई बार टोका जा चुका हूँ. एक बात मैं बोल रहा था उपाध्यक्ष की हैसियत से, चूँकि जीएसटी पर मुझे बोलना था और हमारे दूसरे सदस्यों ने कहा कि आप ही बोलिए जीएसटी पर, जब कानून बन रहा था तब अध्यक्ष जी ने कई बार टोका था. हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कई बार वाद संवाद हो जाता था. फिर साहित्य में एक सीएजी की रिपोर्ट आपको मिलती है. यह सीएजी की रिपोर्ट तो अत्यन्त महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. आप जानते हैं ये सीएजी की रिपोर्ट तो सरकारें बदल देती है. सीएजी संवैधानिक संस्था है, इसको हिंदी में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं. यह संवैधानिक संस्था है और वह हर विभाग की समीक्षा करती है. कहां ज्यादा खर्च कर दिया गया, कहां फिजूलखर्ची हुई, कहां खर्च करने की नीयत ठीक नहीं है. भूमि आवंटन की स्थितियां हैं. तमाम चीजों की चर्चा सीएजी अपनी रिपोर्ट में करती है. नियम तो यह है कि पहले सीएजी अपनी आपत्तियां विभाग को भेजती है और विभाग अपनी जानकारियां, अपने जवाब कि विभाग का क्या कहना है, वह भेजता है. अवसर विभाग को भी मिलता है. उसके बाद अगर सीएजी संतुष्ट नहीं होता है, तब फिर वह रिपोर्ट जारी हो जाती है. तो संक्षेप में बहुत सारी चीजें आपको बताई, उनका उल्लेख किया, मैं माननीय अध्यक्ष जी से क्षमा चाहता हूँ कि शायद मैंने अपने आवंटित समय से ज्यादा समय ले लिया है. चूँकि कल रात तो मुझे मालूम था कि मुझे 50 मिनट मिलने हैं और आज सुबह बताया गया कि 25 या 30 मिनट हैं. इस कारण यह धृष्टता हुई है. मैं सामान्यत: अध्यक्ष महोदय या जो भी अध्यक्षता करते हैं, उनके आदेशों से बंधा रहता हूँ. मैं कभी उच्छृंखल या उस तरह की राजनीति नहीं करता, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और अनुसरण हमारे अध्यक्ष जी का ही करना चाहिए, धीर-गंभीर बने रहना चाहिए. देखिए कहां कहां पहुँच गए, कितनी ऊँचाइयों पर पहुँच गए. पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर-वीर निर्भीक मना. हमारे ऐसे अध्यक्ष जी हैं, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे सुना, गौर से सुना और मैं लोकसभा सचिवालय, विधान सभा सचिवालय और माननीय अध्यक्ष जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का भी अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं दो बातें आपके सामने कह सकूँ. धन्यवाद. जय हिन्द.

संचालक, विस -- कल समयाभाव के कारण संसदीय प्रक्रियाएं यथा स्थगन, ध्यानाकर्षण और अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर प्रमुख सचिव महोदय श्री ए.पी. सिंह साहब स्पष्टीकरण और प्रक्रियात्मक जानकारी नहीं दे पाए थे. लेकिन माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था कि कुछ और प्रक्रियात्मक जानकारी उनको दी जाए. मैं प्रमुख सचिव महोदय को इसकी जानकारी देने के लिए आमंत्रित करूँ, उसके पूर्व मैं उनका संक्षेप में परिचय भी देना चाहूँगा. श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा शासकीय सेवा में 1985 में आए और संसद के राज्यसभा सचिवालय से आपने सेवा प्रारंभ की. तदुपरांत आप 1993 से विधान सभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे. वर्तमान में आप वर्ष 2016 से कुशलतापूर्वक प्रमुख सचिव के पद पर कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं. सदन संबंधी तथा अन्य प्रशासकीय कार्यों में उत्कृष्टता के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसदीय सेवा पुरस्कार से आपको सम्मानित भी किया गया है. अब, मैं, श्री ए.पी. सिंह साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे संसदीय प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने का कष्ट करें.

श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मप्र विधान सभा -- माननीय पूर्व उपाध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार, समय की सीमा माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार बांध दी गई थी. लेकिन उन्होंने अपने बहुत ही प्रबुद्ध अनुभव से पुस्तिका का और नियम और प्रक्रिया का भी उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी यहां दी है. विधान सभा जो महत्वपूर्ण कार्य करती है, एक महत्वपूर्ण कार्य जो माननीय पूर्व उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि बजट की उपलब्धता कराती है. कार्यपालिका को शासन चलाने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता रहती है. एक तो विधान, इसलिए इसका नाम ही है विधान सभा, यानि विधान बनाने वाली सभा, क्योंकि शासन चलाना है तो कानून की आवश्यकता पड़ेगी. हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, एक तो वह उपलब्ध कराती है. दूसरा, बजट का प्रावधान करती है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, योजना लागू करना है तो शासकीय धन की आवश्यकता पड़ेगी और वह बिना विधान सभा में पारित किए हुए शासन एक पैसा खर्च नहीं कर सकता, यह संवैधानिक व्यवस्था है. इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण कार्य विधान सभा करती है, वह सदन में क्षेत्रीय जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जनसमस्याओं को यहां उठाते हैं. मैं संक्षेप में इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और जो खासतौर से नए माननीय मंत्रीगण हैं और जो नए माननीय सदस्यगण हैं, उनके लिए शायद ज्यादा उपयोगी होगी. जब विधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है तो एक दिन पूर्व हम उसकी कार्यसूची जारी करते हैं. इसको एजेंडा कह लें या लिस्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं. एक दिन पूर्व वह शाम को जारी होता है.

उसमें सारा विवरण लिखा रहता है कि कौन से विषय सदन के पटल पर रखे जाएंगे. यदि कोई विधेयक है तो कौन सा विधेयक आएगा, यदि अनुपूरक बजट है या कोई बजट है तो उसको कब प्रस्तुत किया जाएगा और कौन से विषयों पर ध्यान आकर्षण या दूसरे जो अविलंबनीय लोक महत्व के विषय हैं, वे चर्चा में आएंगे. लेकिन जब कार्यसूची जारी हो गई और मान लीजिये कोई ऐसी घटना घट जाए, जो बहुत ही अविलम्बनीय हो और लगता हो कि अगर सदन चल रहा है, तो इसको सदन में आना ही चाहिए. जैसे अगर हम यहां भोपाल में हुई गैस त्रासदी का उदाहरण लें तो वह घटना रात्रि में घटी और उसमें हजारों लोग प्रभावित हुए और अगले दिन विधान सभा की कार्यवाही चल रही है, विधान सभा की बैठक है तो निश्चित तौर पर गंभीर जनहित का या अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं उठ सकता, जो सदन में लाया जाये. लेकिन कार्य सूची तो हमारी जारी हो गई है, एजेण्डा जारी हो गया है तो उसको कैसे ला सकते हैं? ऐसे ही तात्कालिक विषयों को लाने का माध्यम स्थगन प्रस्ताव है, उसको इंग्लिश में एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं यानि विषय इतना गंभीर है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करके इसको लिया जाये. इसकी प्रक्रिया क्या है ? इसकी प्रक्रिया यह है कि जो भी माननीय सदस्य ऐसे गंभीर विषय को लाना चाहता है, वह सुबह 7.30 बजे से 8.30 बजे विधान सभा सचिवालय में सूचना देगा. इस हेतु एक प्रोफॉर्मा बना हुआ है, जिसमें संक्षेप में उस घटना के संबंध में तथ्य लिखकर 3 प्रतियों में विधान सभा सचिवालय में सबमिट करते हैं, फिर हम उसको शासन को भेजते हैं, सुबह 8.30 बजे का समय इसलिए रखा गया है कि हालांकि उस समय 10.30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती थी एवं 2 घण्टे से 2.30 घण्टे का समय शासन को जानकारी लेने और हमें उपलब्ध कराने में मिल सके और उसके आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय यह निर्णय ले सकें कि वह विषय वास्तव में गंभीर है, उस पर शासन ने कोई कार्यवाही की है कि नहीं की है, इसको लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए. इसलिए 8.30 बजे तक का समय रहता है. मुझे यह स्मरण आ रहा है कि जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, खासकर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जब आप प्रतिपक्ष में थे तो सुबह 6.00 बजे इस तरह की सूचना देने के लिए विधान सभा के गेट पर आ जाते थे और मार्शल हमको फोन करके बताता था कि सर, माननीय सदस्य आए हुए हैं, तो हम उनको एक टोकन प्रदाय कर देते थे. फिर जैसे ही मैं 7.30 बजे अपने चैम्बर में आता था, तो आप लोग आकर सूचनाएं देते थे, तो इसकी इतनी गंभीरता रहती है. इसमें एक महत्वूपर्ण बात यह है कि इसको प्रतिपक्ष के सदस्य ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें सेंसर मोशन रहता है, इसमें शासन के प्रति निन्दा का भाव रहता है, इसलिए सत्ता पक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव

नहीं लगाते हैं. उनको यदि इसी तरह का कोई विषय लाना है तो वह ध्यानाकर्षण के माध्यम से ला सकते हैं. दूसरा, चूँकि यह सदन के एजेण्डे में नहीं रहता है. मैंने देखा है कि चीफ सेकेट्री से लेकर, एसीएस तक फोन करते हैं कि यह विषय तो कार्यसूची में है ही नहीं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा के लिए ले लिया है. जैसे एक बार जबलपुर में भूकम्प आया था, उसको माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया. शासन से एवं कई जगहों से फोन आए कि यह तो एजेण्डे में नहीं है. यह आपने कैसे ले लिया ? स्थगन प्रस्ताव ही एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है, जो बिना कार्यसूची में शामिल किए हुए लिया जाता है और उसके लिए शासन को तत्परता से कार्यवाही करते हुए 2 घण्टे से 2.30 घण्टे में तैयारी करनी पड़ती है और माननीय अध्यक्ष जी यदि निर्णय लेते हैं कि यह विषय गंभीर है, लेने लायक है, तो प्रश्नकाल के तुरन्त बाद उसको लिया जाता है. ध्यानाकर्षण का आशय यही है कि शासन की किसी गलती की तरफ ध्यान आकर्षित करना. क्या शासन को किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उसने की और शासन को क्या कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा की गई. क्या जो कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी, वह शासन के अधिकारियों ने की है. जो कार्यवाही शासन द्वारा की जानी थी, वह कार्यवाही नहीं की गई.

मान लीजिये कि किसी जगह आगजनी की घटना घटी और माननीय विधायक जी ने जानकारी दी कि हमारे यहां का बाजार जल गया है, उसमें 300 दुकानें प्रभावित हुईं. यह उनको संक्षेप में फैक्स लिखकर सूचना के लिए देना पड़ता है. आप ध्यानाकर्षण की सूचना सुबह 9.00 बजे तक दे सकते हैं. एक दिन में एक स्थगन और 2 ध्यानाकर्षण सूचनाएं कोई भी सदस्य दे सकता है. ध्यानाकर्षण की सूचना की प्रक्रिया भी वही है. संक्षेप में आप तथ्य लिखकर देंगे कि क्या घटना घटित हुई ? उसके बारे में तथ्य दिए. फिर विधान सभा सचिवालय तत्परता से संबंधित विभाग को जानकारी के लिए पत्र भेजता है. विभाग से यदि जानकारी आ जाती है तो उसके आधार पर तथा जो तथ्य माननीय विधायक जी ने दिए हैं, उन दोनों के आधार पर निर्णय करते हैं कि विषय जनहित का है, गंभीर है, यह विषय लेने लायक है कि नहीं. लेकिन कई बार पुरानी घटनाओं की सूचना दे देते हैं, जो आप प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो इस आधार पर माननीय अध्यक्ष जिन-जिन सूचनाओं को स्वीकार करते हैं, प्रतिदिन हम 2 सूचनाएं जो हमारी कार्यसूची निकलती है, उसमें शामिल कर देते हैं और 3 माननीय सदस्यों के नाम उसमें उल्लेखित रहते हैं. यदि 3 से अधिक सदस्य रहते हैं, तो उनको प्रश्न पूछने का अवसर मिल सकता है. यह प्रक्रिया सामान्यत: सूचना देने की रहती है और कई बार शुक्रवार को ज्यादा सूचनाएं प्राप्त हो गईं, जनहित का विषय है, यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं तो अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि दो सूचनाओं के

स्थान पर वह 4 से 6 सूचनाएं भी ले लेते हैं. अब इसमें चर्चा की क्या प्रक्रिया सदन में रहती है ? जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई थी. उसकी प्रक्रिया यह रहती है कि वह सदस्य को नहीं पढ़नी होती है. विधान सभा सचिवालय उसका प्रस्ताव बनाता है और समय जब भी आप सूचना देते हैं तो जो विधान सभा के अधिकारी अधिकृत रहते हैं, उस पर दिनांक और समय लिखते हैं. यदि आपने सुबह 7.30 बजे सूचना दी है और आपका समय सुबह 7.30 बजे हो गया, उसके बाद यदि किसी ने सूचना दी है तो उसका समय सुबह 7.31 बजे होगा और उसी क्रम से सदस्यों का सदन में रखे जाने का क्रम रहता है. इसलिए माननीय सदस्य कई बार तत्परता से सुबह 5 बजे से विधान सभा में लाईन लगाकर आ जाते थे और उसमें यह रहता था कि चूँकि सदस्य यह दिखाना चाहते हैं कि यह उनके क्षेत्र की घटना है, तो मेरा नाम पहले आना चाहिए या प्रदेश की कोई गंभीर घटना है तो मेरी उपस्थिति या मेरी सदन में भूमिका प्रभावी दिखनी चाहिए, तो सबसे पहले वह सूचना देते हैं. हम उस पर पूरा टाइमिंग लिख देते हैं और उसी क्रम से वह सूचनाएं यहां ली जाती हैं, तो जब स्थगन प्रस्ताव सदन में लिया जाता है, यदि माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया है तो उसके लेने का समय जैसा मैंने अभी कहा कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद रहता है. उस पर माननीय अध्यक्ष यह पढ़कर सुनाते हैं कि आज फलां-फलां विषय पर स्थगन प्रस्ताव की पांच से दस सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना फलां सदस्य की, दूसरा सूचना फलां-फलां की और ऐसे पूरे 10 नाम वह पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि चूँकि पहली सूचना, इन सदस्य की है, इसलिए मैं इनके शब्द पढ़कर सुनाता हूँ, तो उस घटना के परिप्रेक्ष्य में वह सूचना वह पढ़कर सुनाएंगे और फिर शासन को कहा जायेगा कि इस पर आपने क्या कार्यवाही की है ? शासन उसे जानकारी दे, तो शासन की तरफ से उसका वक्तव्य आता है. शासन कहता है कि हां, यह घटना घटी है, गंभीर है, हमने यह कार्यवाही की है, जांच के आदेश दिए हैं, उनको जो भी कहना है, वह कहेंगे. फिर अपोजिशन के जो माननीय सदस्य हैं, उनको कहा जाता है कि यह क्यों स्वीकार किया जाये ? आप इस पर अपनी बात रखिये, तो वह उस पर बात रखते हैं कि उसमें यह गंभीरता है. शासन के अधिकारियों ने तत्परता से कार्यवाही नहीं की, नहीं तो यह घटना नहीं घटती और यदि फिर उसमें कोई प्रभावित हुआ है तो उनके लिए मुआवजे की बात करते हैं. यदि माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो फिर विस्तृत चर्चा के लिए उस पर समय निर्धारित हो जाता है कि दोपहर 3.00 बजे के बाद चर्चा होगी और उस पर दोनों पक्ष के सदस्य बोलते हैं. यदि चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया है तो क्यों ग्राह्य किया जाये ? ग्राह्यता पर चर्चा माननीय अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष के सदस्यों को सुनकर और शासन के मंत्री जी का वक्तव्य सुनकर फिर उसको अग्राह्य करने की सूचना उसको वहां दे देते हैं, तो यह प्रक्रिया स्थगन

की रहती है. जहां तक ध्यानाकर्षण का सवाल है. मैंने कहा कि प्रतिदिन दो सूचनाएं शामिल होती हैं, तीन सदस्यों के नाम उसमें रहते हैं लेकिन इसकी सदन में प्रस्तुति की प्रक्रिया भिन्न है. इसमें जिन सदस्यों का नाम उसमें होता है, उन सदस्यों को कहा जाता है कि आप अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें तो वह माननीय सदस्य उसकी सूचना पढ़ते हैं कि मेरे क्षेत्र के फलां-फलां जैसे मैंने कहा कि बाजार में आगजनी की घटना हुई और उसमें 300 दुकानें प्रभावित हुईं और शासन की तरफ से कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी या तमाम जो भी कार्यवाहियां करनी थी, तत्परता से नहीं की गई. इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और क्षेत्र में असन्तोष की स्थिति बनी हुई है. इस सूचना पढ़ने के बाद माननीय अध्यक्ष जी संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी को उनका वक्तव्य देने को कहते हैं, तो संबंधित विभाग के मंत्री जी ने उस पर क्या कार्यवाही की है, वह बताएंगे कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं या जिनकी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थीं, उनको हमने प्रति दुकान 10,000 रुपये का मुआवजा दिया है. उसमें उन्हें जो भी बताना है, वह उसकी पूरी जानकारी दे देते हैं. फिर जिन सदस्यों ने वह सूचना दी है, उनको माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक या दो प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, तो जो वक्तव्य शासन की ओर माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में वह अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं. जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 300 दुकानें हैं, तो वहां पर केवल 100 दुकानों में ही क्षति हुई थी. माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मैं उस क्षेत्र से आया हूँ, तो क्या आप इसका फिर से सर्वे करवाएंगे ? 300 दुकानें नहीं, कम से कम 200 से अधिक दुकानें तो प्रभावित हुई हैं, तो माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि हम किसी अधिकारी को भेजकर पुन: सर्वे करवाएंगे या उन्होंने कहा कि हमने 10,000 रुपये का मुआवजा दे दिया है, तो संबंधित सदस्य यह कह सकते हैं कि आप तो 10,000 रुपये दे रहे हैं, जिसकी दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, जल गई है, उसकी रोजी-रोटी का साधन खत्म हो गया है, इसमें यह राशि 10,000 रुपये पर्याप्त नहीं है, आप कम से कम प्रति दुकान 50,000 रुपये की मदद कीजिये. इसमें हो सकता है कि मंत्री जी प्रति दुकान 30,000 रुपये या प्रति दुकान 40,000 रुपये की घोषणा कर दें. इसमें कहने का मतलब यह है कि जो घटना से प्रभावित हुआ है, उनको क्या राहत दी जा सकती है ? और यदि उस घटना के परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी ने चूक की है तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा सकती है ? इसके संबंध में वहां परस्पर चर्चा होती है और फिर यह चर्चा समाप्त हो जाती है. लेकिन स्थगन प्रस्ताव यदि चर्चा के लिए लिया जाता है, तो उस पर अपने यहां मतदान की व्यवस्था है. जैसा कल माननीय पचौरी जी भी बता रहे थे, चूँकि सेंसर मोशन रहता है और इसमें सरकार के प्रति निन्दा का भाव रहता है तो यदि स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह माना

जाता है कि सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है. इसलिए इसको कई बार ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं तो हर दिन स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है. जब कभी इस तरह की विशेष घटनाएं होती हैं, तब कभी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है. तीसरा, अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाएं. यह भी महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों को उनके क्षेत्र के विषय उठाने के लिए. यह दो प्रकार की सूचनाएं होती हैं. एक सूचनाएं तो यह हो सकती हैं कि आपका केवल एक क्षेत्र विशेष के संबंध में जैसे मान लीजिये कि ग्वालियर-चम्बल संभाग में डाकू समस्या थी, यह समस्या पहले थी, अब तो नहीं है. यह जो सूचना आयेगी, यह अल्प सूचना के अंतर्गत आएगी. चूँकि यह केवल क्षेत्र विशेष से या 4 से 10 जिलों से इसका संबंध है तो यह नियम 142 -क हमारी नियमावली का है, उसमें 45 मिनट का समय निर्धारित है. सूचना के संक्षेप में आपको इसका विषय लिखकर देना है, फिर क्यों उसे लिया जाये ? इसका औचित्य की टीप उसमें माननीय सदस्य लिखकर देंगे. दो सदस्यों के समर्थन के साथ वह विधान सभा सचिवालय में सबमिट होगी. जब यहां होती है तो हम शासन से जानकारी मंगाते हैं. शासन उस पर कार्यवाही की जानकारी देता है फिर माननीय अध्यक्ष महोदय दोनों पर विचार करते हैं उन्हें लगता है कि शासन ने पर्याप्त कार्यवाही कर दी है. चर्चा की आवश्यकता नहीं है तो फिर उसे अग्राह्य कर दिया जाता है. यदि माननीय अध्यक्ष महोदय को ऐसा लगता है कि नहीं जब विषय गंभीर है, जनहित का है और अभी इसमें और कार्यवाही अपेक्षित है तो उसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लेते हैं. जिस दिन उसको चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है उस दिन जो हमारी कार्यसूची है उसमें उसको शामिल किया जाएगा. जिस सदस्य ने वह सूचना दी है वह सदस्य संक्षिप्त में अपना वक्तव्य देकर उसको प्रारंभ करते हैं और वह सूचना जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग के मंत्री जी उसका उत्तर देते हैं. माननीय सदस्य उस पर प्रति प्रश्न कर सकते हैं इस तरह से यह चर्चा समाप्त हो जाती है. दूसरी अविलंबनीय लोक महत्व की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वह नियम 139 के अंतर्गत आती है. वह प्रदेशव्यापी विषय पर होती है. जैसे प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति हो गई या प्रदेश में सूखे की स्थिति हो गई तो इस विषय को भी यदि कोई सदस्य लाना चाहता है तो वह नियम 139 के तहत लाएंगे कि प्रदेश में अतिवृष्टि के संबंध में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा, फिर क्यों यह विषय लाना चाहते हैं तो औचित्य की टीप उसमें भी लिखी जाती है कि इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं या जो भी उनको कहना है. वह औचित्य की टीप लिखकर जब यहां आती है तो प्रक्रिया वही रहती है कि हम संबंधित विभाग से इसकी जानकारी मंगाते हैं फिर माननीय अध्यक्ष महोदय जानकारी के आधार पर यह निराकरण करते हैं कि विषय गंभीर है इसको चर्चा में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए.

सामान्यत: हमारी जो नियमावली है उसमें डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित है, लेकिन चूंकि विषय वृहद होता है पूरा प्रदेशव्यापी विषय होता है तो सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है तो इस विषय को उसमें रखा जाता है. समिति यह तय करती है कि इस विषय को आज लेना है दो दिन बाद लेना है, या कब लेना है यह विषय के महत्व के हिसाब से तय होता है तो उस विषय पर जिस सदस्य ने सूचना दी है वह तो बोलता ही है लेकिन वह पूरे सदन के लिए खुल जाता है तो दोनों पक्षों के सदस्य जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों वह अपना नाम दे देते हैं और माननीय अध्यक्ष फिर उनको क्रम से सदन में बोलने का अवसर प्रदान करते हैं और अंत में फिर विभाग के मंत्री सदस्यों के विचार और सुझाव सुनने के बाद शासन की क्या कार्ययोजना है उस समस्या के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की है वह उसका विस्तार से जवाब देते हैं और चर्चा वहीं समाप्त हो जाती है तो यह मुख्य सूचनाएं थीं जो मैंने दीं अब मैं समय को देखते हुए इसको यहीं समाप्त कर रहा हूं. मुझे लग रहा है कि यह आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा इस सूचना के साथ धन्यवाद.

संचालक, वि.स.--प्रमुख सचिव महोदय ने अपने अध्ययन अनुभव और ज्ञान के आधार पर प्रक्रियात्मक जानकारी आप लोगों को दी. प्रसंगवश मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इसी अनुभव, अध्ययन और ज्ञान के आधार पर आपने कोरोनाकाल का सकारात्मक उपयोग कर विधानमण्डल प्रक्रिया एवं पद्धति पर सरल हिन्दी भाषा में पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन गतवर्ष इसी सभागृह में माननीय डॉ. सीतासरन शर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति में और उनके करकमलों से हुआ था. यह पुस्तक माननीय सदस्यों के लिए काफी उपयोगी है तथा अन्य विशेषकर हिन्दीभाषी विधान मण्डलों में काफी सराही गई है इसका वितरण माननीय सदस्यों को आगामी सत्र में किया जाएगा. इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी द्वारा प्रेषित प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसका मैं संक्षेप में वाचन भी करना चाहूंगा. प्रिय श्री सिंह, आपके द्वारा लिखी गई "**विधानमण्डल पद्धति एवं प्रक्रिया पुस्तक**" प्राप्त हुई. पुस्तक में आपके द्वारा संसदीय कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को सरल हिन्दी भाषा में लिपिबद्ध किया गया है. यह पुस्तक अवश्य ही हिन्दीभाषी राज्यों के विधान मण्डलों में सदस्यों के सदन तथा समिति की बैठकों में दायित्व निर्वहन करने में सहायक होगी. आपके द्वारा कोरोनाकाल का सदुपयोग कर अपने विधायी कार्यों के अनुभवों के आधार पर विधानमण्डल प्रक्रिया के संबंध में लिखी गई पुस्तक का प्रयास सराहनीय है. इस महति कार्य के लिए बधाई के साथ-साथ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं.

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी को अपनी पुस्तक भी भेंट करना चाहेंगे. इस पुस्तक का नया संस्करण माननीय सदस्यों को आगामी सत्र में वितरित किया जाएगा.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय, माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी को पुस्तक भेंट की गई.)

अध्यक्ष महोदय-- हमारे बीच में माननीय डॉ. सीतासरन शर्मा जी पूर्व विधान सभा अध्यक्ष आ चुके हैं उनका सत्र इसके बाद होगा. विषय के अंतिम सत्र के लिए हमारे लोकसभा के बहुत ही वरिष्ठ सांसद आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी वह भी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं. समापन समारोह हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी माननीन कैलाश विजयवर्गीय जी करेंगे. मैं प्रमुख सचिव महोदय से कहूंगा कि आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी का स्वागत करें.

(श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव द्वारा लोक सभा सांसद एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, श्री सुनील कुमार सिंह का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया.)

अध्यक्ष महोदय-- सभी सदस्यों से अनुरोध है कि दस मिनट का चाय का अंतराल होगा तो हम सभी यहां से बायीं और जो टेरेस है, वहां जाएंगे. कल हम दायीं ओर भोजन की तरफ पहुंच गए थे. सुरक्षा में लगे लोगों को मैं कहूंगा कि वह भोजन स्थल पर खड़े रहें और कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचे तो वह उसे बताएं कि चाय की व्यवस्था कहां है और ठीक दस मिनट बाद हम फिर यहां एकत्रित होंगे.

(12.20 बजे चाय के लिये 10 मिनट का अंतराल)

(पंचम सत्र)

प्रश्नकाल एवं प्रश्नों से उद्‌भूत आधे घण्टे की चर्चा

(वक्ता) डॉ. सीतासरन शर्मा, पूर्व मा. अध्यक्ष एवं सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा

सहयोगी- श्रीमती मंजू गजभिए, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश विधान सभा

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक -- आप सभी का प्रबोधन कार्यक्रम के पंचम सत्र में पुन: स्वागत है. प्रश्नकाल एवं प्रश्नों से उद्‌भूत आधे घण्टे की चर्चा इस विषय पर आज हमारे बीच डॉ. सीतासरन शर्मा जी, पूर्व माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी के रुप में श्रीमती मंजू गजभिए, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय पधार चुकी हैं. मैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से मंचासीन अतिथियों के औपचारिक परिचय हेतु अनुरोध करती हूँ.

प्रमुख सचिव, विधान सभा -- इस सत्र का विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रश्नों के संबंध में प्रक्रिया. इसके मुख्य वक्ता हम सभी के जाने माने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा जी हैं. वे बहुत ही प्रबुद्ध और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं. छठवीं बार वे विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं. इसके पूर्व वे नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्य रहे हैं. चौदहवीं विधान सभा की अवधि में आपने अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया था. मुझे भी उनके सानिध्य में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन की गरिमा बढ़ाई और सत्र की कार्यवाहियों का संचालन किया था. मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सादर उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय -- तालियाँ बजाकर डॉ. सीतासरन शर्मा जी को आमंत्रित कीजिए.

(सभागार में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा तालियाँ बजाई गईं)

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगवाए गए)

डॉ. सीतासरन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा -- इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ राजनेता, हमारी विधान सभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय नरेन्द्र सिंह तोमर साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश शासन के संसदीय कार्य और नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे अतिथि माननीय सांसद आदरणीय श्री सुनील कुमार

सिंह जी, विधान सभा के प्रमुख सचिव आदरणीय ए.पी. सिंह साहब, विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आदरणीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी, मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के आदरणीय मंत्री राकेश सिंह साहब, मध्यप्रदेश शासन के आदरणीय मंत्रीगण, वरिष्ठ विधायकगण, पहली बार चुने गए माननीय विधायकगण, पत्रकार मित्रों, विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण और उपस्थित साथियों.

सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया. प्रमुख सचिव महोदय ने मुझे समय सीमा से अवगत कराया है, मैं उस समय सीमा के पांच मिनट पहले अपना उद्बोधन समाप्त कर दूंगा. प्रश्नकाल से उद्भूत विषय पर आधे घंटे की चर्चा. वर्ष 2019 में जो वरिष्ठ वक्ता आए थे मैंने उनके इसी विषय पर भाषण भी पढ़े थे. उन्होंने इतिहास बताया था कि प्रश्नकाल कैसे प्रारंभ हुआ. परन्तु मैं उसके भी पहले जाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि प्रश्नकाल हमें किसी की देन नहीं है. यह हमारी संस्कृति की पहचान है, विरासत है. वैदिक काल में प्रश्नों के विषय में एक उपनिषद् ही लिखा गया है, प्रश्न उपनिषद्. सारे प्रश्नों के उत्तर वहां दिए गए हैं. यह वैदिककाल की परम्परा थी. फिर आया द्वापर इस युग में अर्जुन भगवान कृष्ण से युद्ध के मैदान में प्रश्न पूछते हैं, ***किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा.*** किसके लिए राज्य चाहिए, राज भोगने के लिए कौन जीवित बचेगा और भगवान वहीं उत्तर देते हैं. यह प्रश्नोंत्तर की परम्परा रामचरित मानस में भी आई है. ***पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ जौं कृपाल मोहि ऊपर भाऊ. नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी.*** मुझे सात प्रश्नों का उत्तर दीजिए यह भगवान गरुड़ ने काकभुशुण्डि से कहा. यह जो प्रश्न थे यह कुछ जिज्ञासा के थे. सप्त प्रश्न जिज्ञासा के हैं. अर्जुन का प्रश्न इसलिए था कि हम लड़ें क्यों वह कनफ्यूजन की स्थिति में था. परन्तु प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो समस्या का समाधान करते हैं. इसलिए मानस में जो दूसरी चौपाई आई है. पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि क्या समाज के, संसार के हित के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने चाहिए. विधान सभा में प्रश्न ऐसे ही होने चाहिए जो समाज के लिए अपने क्षेत्र के लिए पूछे जाएं. यह परम्परा निरन्तर चली आ रही है. लोकतंत्र की परिभाषा हमने ज्यादातर लिंकन की पढ़ी है. Democracy is a government of the people, by the people and for the people'. किन्तु एक परिभाषा और है "government by discussion" लोकतंत्र की सरकार चर्चा से चलती है. चर्चा के नियम बने हैं विधान सभा में अभी प्रमुख सचिव जी ने उन पर संक्षेप में चर्चा की है. चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो वह है प्रश्नकाल. इसका महत्व विधान सभा के नियमों से भी पता चलता है. चर्चा में जो अन्य विषय आते हैं अभी

बजट के बारे में आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि चर्चा किस पर होती है. ध्यानाकर्षण, स्थगन के बारे में बताया, अविलम्बनीय लोक महत्व के 142, 143 (क) के बारे में बताया. यह जो चर्चाएं हैं इनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं हैं. पन्द्रह मिनट, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे भी हो सकती है. किन्तु प्रश्नकाल अनिवार्य रुप से एक घंटे चलेगा ही. इसी से यह पता लगता है कि प्रश्नकाल कितना महत्वपूर्ण है. दूसरी चर्चाएं तो कई बार माननीय अध्यक्ष पहले समाप्त कर देते हैं. प्रश्नकाल 11.00 बजे शुरु होता है 11 बजकर 59 मिनट पर भी एक मिनट बचा है तब भी अगले सदस्य का नाम पुकार लिया जाता है, प्रश्नकाल का एक मिनट भी जाया नहीं किया जाता है. इससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नकाल कितना महत्वपूर्ण है. एक बात और है माननीय अध्यक्ष महोदय के स्थायी आदेश हैं. यह सब किताबें माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको दी हुई हैं. इन स्थायी आदशों में सबसे पहला जो पेज है उसमें है विषयों की पूर्ववर्तिता इसका एग्जेक्ट अर्थ तो पीएस साहब बताएंगे यह बहुत कठिन भाषा है. प्राथमिकता या प्रायोरिटी कह सकते हैं. उसमें राज्यपाल जी का अभिभाषण एक ही बार होता है. माननीय मंत्रियों का परिचय भी एक ही बार होता है या जब विस्तार होता है तब होता है. किन्तु रोज के कार्यक्रम में निधन के उल्लेख के बाद प्रश्नकाल ही आता है. यह प्रायोरिटी फिक्स की हैं स्पीकर महोदय ने और यह इसलिये की क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और अभी स्थगन प्रस्ताव की बात हो रही थी. स्थगन प्रस्ताव चूंकि अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है उसकी प्रायोरिटी भी प्रश्नकाल के बाद सेकेण्ड में दी गई है. इसलिये हम यह समझ सकते हैं कि प्रश्नकाल कितना महत्वपूर्ण है. अब यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों विधान सभा में इसको इतनी प्राथमिकताएं दी गई हैं, अब चूंकि समापन पर हैं और सिर्फ प्रिविलेज बचा है जिस पर माननीय सांसद जी बात करेंगे वह लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी के चेयरमेन भी हैं, जितने विषय आते हैं उन सभी में ध्यानाकर्षण को छोड़कर सीधे मंत्रीजी से बातचीत नहीं हो पाती है. प्रश्न के अलावा सिर्फ ध्यानाकर्षण ही एक ऐसा विषय है जिसमें सदस्य की और मंत्रीजी की सीधी बात होती है. बाकी विषयों की चर्चा होती है अनेक सदस्य बोलते हैं, माननीय मंत्रीजी उत्तर दे देते हैं और सीधा प्रश्न है ध्यानाकर्षण से प्रश्न क्यों ताकतवर है, क्योंकि ध्यानाकर्षण का विषय सीमित रहता है, एक तो अविलंबनीय लोक महत्व का होना चाहिये और मुख्य तौर पर दो सत्रों के बीच का होना चाहिये तभी उसको लिये जाने का औचित्य रहता है, किंतु प्रश्न 10 साल पुराने, 8 साल पुराने विषय को भी उठा सकते हैं. प्रश्न में हम सारे विषय ले सकते हैं. विकास कार्य, अधूरे कार्य, उसकी एजेंसी, कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी विषय आपकी बुद्धि में आते हैं वह सारे विषय प्रश्नों के माध्यम से पूछे जा सकते हैं और कोई माध्यम पूछने का नहीं है. सामान्य बजट पर बोल सकते हैं किंतु आमने

सामने बात नहीं कर सकते हैं. इसलिये प्रश्नकाल का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिये हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ माननीय विधायक, पंडित गोपाल भार्गव जी कई वर्ष मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बार प्रश्न के बारे में कहा था कि प्रश्नों से सिर्फ सदस्यों को फायदा नहीं होता प्रश्नों से सरकार को भी फायदा होता है क्योंकि इतने नीचे की बात ऊपर आकर माननीय मंत्रीगण को पता लगती है जो सामान्यत: उनकी जानकारी में नहीं आ पाती है. यहां से 400-500 किलोमीटर दूर एक 200 जनसंख्या का ग्राम है जहां एक प्राइमरी स्कूल है उसकी बिल्डिंग टूट गई है यह प्रश्न के बिना पता नहीं लगेगा, तो शासन को प्रशासन कैसा चल रहा है यह जानकारी प्रश्नों में माध्यम से सीधे जनता तक, सीधे सदस्य तक, सीधे विधान सभा तक पहुंचती है और उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है. इसलिये मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन में प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण विषय है.

प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाना चाहिये. माननीय अध्यक्ष सब कर सकते हैं. माननीय वरिष्ठ मंत्री करण सिंह वर्मा साहब बैठे हैं मैं उनका नाम लेना भूल गया था. पहले परम्परा भी रही है कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाता था. माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, हम लोग वर्षों विपक्ष में रहे हैं और हम लोग हमेशा तय करते थे कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिये. मैं आज अखबार में लोकसभा अध्यक्ष जी के भाषणों को पढ़ रहा था उन्होंने कहा कि पहले से तय करके आकर के विधान सभा को स्थगित नहीं करना चाहिये. उन्होंने नियोजित शब्द का उपयोग किया था कि नियोजित रूप से विधान सभा का या लोकसभा का स्थगन नहीं कराना चाहिये. इसी प्रकार से प्रश्नकाल कभी भी नियोजित, अब कभी उत्तेजना हो जाए माननीय अध्यक्ष जी को गुस्सा तो आये किंतु मन के अंदर न आये, कभी ऐसा प्रश्नकाल के दौरान हो जाए तो बात अलग है किंतु उसका भी तरीका यही है कि बहिर्गमन करें और फिर आकर बैठ जाएं. हमेशा से विधान सभा की यही परम्परा रही है और सबसे बड़ी ताकत प्रश्नों में विपक्ष के माननीय सदस्यों की है. हम लोग वर्ष 1990 से 1993 तक सरकार में थे माननीय स्व. सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे. जब 1993 में चुनकर आये तो मैं भी बिल्कुल नया था. विपक्ष के लिये बिल्कुल ही रॉ हैण्ड था, तब स्व. भैरूलाल जी पाटीदार विधान सभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे. उनसे मैंने एक बार पूछा कि क्या करें, सरकार से काम कैसे करवाएं तो उन्होंने कहा प्रश्न पूछा करो और प्रश्न पूछने का उन्होंने एक तरीका भी बताया कि बाकी तो अभी आएंगे नियमों पर बहुत नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे यह किताब रखी है, उतने जटिल में जा भी नहीं सकते, उन्होंने कहा सरकार को किसी काम के बारे में चिट्ठी लिख दो और उस पत्र पर से एक प्रश्न बना लो वह तेजी से

दौड़ता है. हमारे पत्रों का उत्तर यदि प्रशासन नहीं दे रहा है तो उस पर भी प्रश्न किया जा सकता है. जब हम लोग विपक्ष में थे तब सबने किये हैं. प्रश्नों की ताकत बहुत बड़ी है. इस ताकत का उपयोग जनता के हित के लिये करें.

अब मैं संक्षेप में 2-3 बातें जो प्रश्नों के नियम हैं जो पालनीय विषय हैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा. एक तो यह नियम 28 से 51 है यहां यह प्रश्न दिये गये हैं. नई किताब जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने दी है उसमें पेज 15 में है. इनको ध्यान से पढ़ लें और जो उसमें प्रमुख विषय है वह बतला देता हूं. एक तो तारांकित, अतारांकित और परिवर्तित अतारांकित है. जो मौखिक प्रश्न पूछने होते हैं वे तारांकित में दिये जाते हैं. एक दिन में सदस्य 4 प्रश्न पूछ सकते हैं. जिसमें से 2 मौखिक पूछ सकते हैं, परंतु अक्सर एक ही आता है वह भी लॉटरी से शलाका से आता है. वह भी यदि जल्दी लग जाए तो ठीक है, 24 और 25 में लगता है तो एकेडमिकी रह जाता है कभी कभी आ जाता है. फिर 25 दिन पहले देना पडता है और इसलिये इसकी तैयारी पहले से करना चाहिये क्योंक अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत समय नहीं मिलता है. जब दौरे पड़ जाएं या जब कहीं कोई ऐसा विषय आपके सामने आ जाए जिस पर प्रश्न लगाया जा सकता है तो उसकी तैयारी उसी दिन करा लें परंतु प्रश्न 25 दिन के अलावा नियम 50 उसमें अल्पसूचना प्रश्न भी है वह 2 दिन पहले तक दिया जा सकता है. इसमें 2 दिन लिखा नहीं है परंतु 2 दिन पहले तक दिया जा सकता है. उस विषय को बताना पड़ता है. उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्रीजी की सहमति होती है और एक संक्षिप्त टिप्पणी कि क्यों यह महत्वपूर्ण है और उसमें दो सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है फिर वह आता है. क्योंकि समय की सीमा पूरी हो रही है, तारांकित प्रश्न में जो प्रश्न आते हैं वह पढ़े तो नहीं जाते जो लिखा है पढ़ना भी नहीं चाहिये वह तो लिखा हुआ आता ही है, उन पर अनुपूरक प्रश्न बहुत सी बातें ऐसी रह जाती हैं जो प्रश्नों से स्पष्ट नहीं हो पाती हैं तो अनुपूरक प्रश्न की माननीय अध्यक्ष जी तीन प्रश्नों की अधिकतम अनुमति दे सकते हैं. वह नियम 48 है. जैसे उदाहरण के लिये वैसे तो मैं किताब लाया था परंतु समय नहीं है, जैसे आपने बिजली के बारे में पूछा कि कितना उत्पादन होता है, क्षमता कितनी है और उत्पादन कितना होता है. अब सरकार ने बताया क्षमता 22 हजार मेगावॉट की है उत्पादन 18 हजार हो रहा है, तो अनुपूरक आएगा पूरी क्षमता में क्यों नहीं कर रहे हैं, पूरी क्षमता कब तक प्राप्त कर लेंगे, उसमें ट्रांसमीशन लॉस कितना है, ट्रांसमीशन लॉस कम करने के उपाय क्या हैं यह अनुपूरक प्रश्न हैं, तो उन पर क्या प्रश्न उद्भूत होते हें और कभी भी ऐसे प्रश्न ना पूछें जो उद्भूत नहीं होते हैं क्योंकि

माननीय अध्यक्ष जी भी उसको डिसअलाऊ कर देते हैं और माननीय मंत्री जी भी बोल देते हैं कि यह प्रश्न इससे उद्भूत नहीं होता है.

अब आते हैं आखिरी पर क्योंकि मेरे पास 3-4 मिनट और हैं परंतु अब विषय नियम 52 का है. प्रश्नों के बारे में एक उदाहरण मैं लेकर आया था वह आपको जरूर बता दूं. प्रश्नों से कितनी बड़ी कार्यवाहियां होती हैं 1957 में एक हरिदास मूंदड़ा कांड हुआ था. अब वह लम्बा है, परन्तु उसमें सत्ता पार्टी के ही डॉ. रामसकल सिंह जी ने प्रश्न पूछा और बात में सत्ता पार्टी के ही सदस्य, फिरोज गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया उस समय श्री टी.टी.कृष्णमाचारी, फायनेंस मिनिस्टर थे भारत सरकार के, उनको इस्तीफा देना पड़ा था. यह कार्यवाहियां सिर्फ प्रश्नों में हो सकती है.

अब हम आगे आते हैं, नियम -52 पर आधे घण्टे की चर्चा. दो-तीन मिनट में बात समाप्त करेंगे. आधे घण्टे की चर्चा में यदि कोई विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विधान सभा में आधे घण्टे की चर्चा दोनों पर ली जा सकती है, तारांकित पर भी, अतारांकित पर भी और परिवर्तित अतारांकित प्रश्न पर भी, जो भी प्रश्न उसमें आये हैं जो प्रश्नों के उत्तर से यदि सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है तो नियम-52 के अंतर्गत सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष को एक आवेदन दिया जाता है और उसमें टिप्पणी लिखी जाती है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और माननीय अध्यक्ष जी यदि अनुमति दे दें तो सप्ताह के अंतिम दो दिन गुरूवार और शुक्रवार को आखिरी में, विधान सभा का कार्य पूरा होने के बाद के आधे घण्टे में उसको लिया जाता है, उसके ऊपर कोई मतदान नहीं होता है. सिर्फ सदस्य अपनी बात रखते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देते हैं. आधे घण्टे की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, पर इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जायेंगे. पर यदि आप दो उदाहरण देख लें. एक श्री शैलेन्द्र प्रधान जी ने वर्ष 1993-98 के बीच में आधे घण्टे की चर्चा ली थी,एक्साइज़ के जो ठेके नीलाम किये थे उसकी अनियमितता पर से. उस प्रश्न के उत्तर में आधे घण्टे की चर्चा हुई थी, उस समय तत्कालीन मंत्री श्री चरण दास महंत जी थे, जो बाद में छत्तीसगढ़ के विधान सभा अध्यक्ष बने, उन्होंने 6 दुकानों को निरस्त किया और सदन में ही घोषणा की. कलेक्टर के खिलाफ, जहां अनियमितता हुई तो उसके खिलाफ कार्यवाही के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा और उनके विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिये आश्वासन दिया. यह कार्यवाहियां होती हैं, आधे घण्टे की चर्चा से.

दूसरा विषय, हेमन्त खण्डेलवाल जी ने उठाया था वर्ष 2013-18 के बीच में और वह था नारंगी भूमि के बारे में. यह नारंगी भूमि क्या होती है यदि राजस्व विभाग के बहुत विद्वान हों तो मालूम हो, वन विभाग के. आप तो उस समय पर आसंदी पर थे उस वक्त. आपके सामने ही वहां

पर आधे घण्टे की चर्चा आयी थी. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह उस समय पर आसंदी पर थे. उस नारंगी भूमि के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था. मैंने ही उनको वह आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी थी, वह यहां मौजूद हैं, आप उनसे पूछो. नारंगी भूमि पर उन्होंने जो चर्चा की थी, वह तथ्यपरक थी, तो उस पर शासन के वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार जी थे तब. शासन ने तत्काल निर्णय किया उसके निराकरण के लिये, अब चूंकि वह बैतूल का मामला उन्होंने उठाया था बेसिकली. परंतु वह पूरे प्रदेश का मामला था. उसमें आगे क्या कार्यवाही हुई, यह तो मुझे जानकारी नहीं है. किन्तु वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय था. यदि आपको नॉलेज के लिये चाहिये तो आप इन दो विषयों को देख लें. ऐसी बहुत सी आधे घण्टे की चर्चाएं होती हैं, किन्तु यह दो विषय मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे, इसलिये मैंने आपके सामने इनको लाया.

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने समय में अपनी बात पूरी कर ली, हो सकता है कि दो-तीन मिनट ज्यादा लिये हों. मैं आपका पुन: आभार मानता हूं. आप सभी का आभार, धन्यवाद. जय हिन्द.

षष्टम एवं समापन सत्र

संसदीय विशेषाधिकार

(वक्ता) श्री सुनील कुमार सिंह जी, माननीय सांसद एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, लोकसभा

सहयोगी- रविन्द्र गरिमेला, पूर्व संयुक्त सचिव, लोकसभा.

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक:- धन्यवाद माननीय. प्रबोधन कार्यक्रम के आगामी सत्र में संसदीय विशेषाधिकार, इस विषय पर व्याख्यान देने हेतु आज हमारे बीच श्री सुनील कुमार सिंह जी, माननीय सांसद एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, लोकसभा से पधार चुके हैं. मैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से उनके औपचारिक परिचय हेतु निवेदन करती हूं.

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा:- माननीय सुनील कुमार जी के साथ सहयोगी के रूप में लोक सभा से मेरे साथी ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री रविन्द्र गरिमेला जी आ चुके हैं. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह भी अपना डॉयस पर स्थान ले लें.

माननीय डॉ.सीतासरन शर्मा जी ने बहुत ही व्यवहारिक और विभिन्न पहलुओं पर, जैसा उन्होंने कहा कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. किसी भी संसदीय व्यवस्था पर इन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से यहां अपना मार्गदर्शन दिया है. मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और

अगले जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे अनुरोध पर यहां पधारे हैं. आप झारखण्ड से लोक सभा के सदस्य हैं. सौलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा में वह निर्वाचित हुए हैं और वर्तमान में वह जनता पार्टी दल के वहां सचेतक भी हैं. उस दायित्व का काम वह वहां कर रहे हैं. आप सदन की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति रहे हैं. लेकिन वर्तमान में लोक सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषाधिकार समिति, उसके भी वह सभापति हैं और अनेक देशों की यात्रा उन्होंने की हुई है. हाल ही में मुझे याद आ रहा है कि घाना में जो कॉमन वेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें वह भारतीय संसद के प्रतिनिधिमण्डल के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उन्होंने वहां भूमिका निभायी थी तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं, यहां मार्गदर्शन देने के लिये. आदरणीय श्री सुनील कुमार सिंह जी, संसद सदस्य, लोक सभा और उनके साथ जो सहयोगी है वह संयुक्त सचिव, लोक सभा में रहे हैं और वह अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं, उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं और मेरे साथ वह लोक सभा सचिवालय में थे और वर्तमान में भी वह लीडर नेता प्रतिपक्ष के ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं. वह लोक सभा में कंस्लटेंट भी रहे हैं. श्री रविन्द्र गरिमेला का भी हृदय से स्वागत.

श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय सांसद एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, लोक सभा:- मध्यप्रदेश विधान सभा प्रबोधन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर अध्यक्षता कर रहे , विधान सभा के आदरणीय अध्यक्ष, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉ. सीतासरन शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय रविन्द्र जी, यहां उपस्थित राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राकेश सिंह जी और सभागार में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और विधान सभा के आदरणीय कर्मचारीगण, अतिथिगण और मीडिया के साथियों.

सर्वप्रथम इस पुण्य भूमि पर आने का आमंत्रण, मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने दिया इसके लिये मैं, आभारी हूं. सबसे पहले मैं आपको मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के अयोध्या आगमन के वर्ष 2024 की अनंत शुभकामना देता हूं और फिर अब अपनी बात को प्रारंभ करता हूं.

मैं तो विशेषाधिकार (प्रिविलेज़ और एथिक्स) सामान्य तौर पर हमारे मन में, जब हम जीत कर आते हैं, जब हमारा दायित्व होता है तो हमको लगता है कि हमारे विशेषाधिकार प्रिविलेज़ किस रूप में हैं और आपको पता है कि हमारी पूरी भारत की व्यवस्था कल्याणकारी व्यवस्था है. हमें अपने विशेषाधिकार के पूर्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हम महत्वपूर्ण गये हैं, विधायिका,

न्यायपालिका,कार्यपालिका, इनके बीच के संबंधों को समझना चाहिये और फिर हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिये कि यह विशेष अधिकार किस हेतु, किसके लिये, किस संबंध में और हम सभी को 2022 का माननीय प्रधान मंत्री जी का लाल किले से दिया गया भाषण स्मरण में होगा. उन्होंने पांच प्रवणों की चर्चा की थी. पहला, विकसित भारत, यानि समावेशी विकास. जिसके लिये हम 2047 का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में. दूसरा, उन्होंने कहा कि गुलामी की सोच से मुक्ति, यानि स्वयं की पहचान और मेरे आने के पूर्व हमारे सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीतासरन जी, जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आम तौर पर हमारी साच यही रहती है कि हमने लोकतांत्रिक पद्धतियों का जो अनुकरण किया है, यह पश्चिम से किया है. हमारी संसदीय प्रणाली को भी पहले माना जाता था, लेकिन बाद में एक रिज़ाल्यूशन लाकर हम लोगों ने उसको समाप्त किया. खास करके प्रिविलेज में हम अनेक मामलों में हाऊस आफ कामन्स लंदन का उदाहरण दिया करते थे. आपने देखा कि हमारी विरासत शुरू से समृद्ध रही है क्योंकि सभाओं की चर्चा और सभा करना प्रश्नों के उत्तर खोजना, यह हमारा स्वाभाविक और नैसर्गिक स्वभाव रहा है जो हम प्राचीन समय से इसको देखते आए हैं.

तीसरा, उन्होंने कहा कि विरासत पर गर्व और विरासत पर गर्व यानी जो हमारी नींव में पड़ा हुआ है, जो हम करते हैं पुरानी नींव पर नया निर्माण, हम भारत का निर्माण कर रहे हैं लेकिन नींव हमारी पुरानी है. अब हम मध्यप्रदेश की चर्चा करें और महाकाल की चर्चा न करें, राजा भोज की चर्चा न करें. हम राजनीति में हों और नलखेड़ा के बगलामुखी का क्या ज्ञान है, उसकी चर्चा न करें. हम जाबालि ऋषि के दिये हुए ज्ञान की चर्चा न करें. हम अमरकंटक के पुण्य क्षेत्र से कुछ न समझ पाएं तो हमको लगता है फिर हमारा जीवन अनायास ही चलेगा. हम काम रहें, करते रहेंगे, इसलिए अपनी विरासत पर गर्व, इसलिए आज कुछ लोग सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे. लेकिन एक लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र के मापदंड की कसौटी पर जब हम कसेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रामराज्य यह लोकतंत्र की अवधारणा का उच्चतम सर्वश्रेष्ठ रूप है इसलिए उसका प्रकटीकरण हो रहा है, ऐसे समय जब हम सब काम कर रहे हैं तो इसलिए विरासत पर गर्व और एकता और एकजुटता, आप सबने देखा है कि हमारे देश को किस तरह से बांटा गया ताकि विदेशियों का शासन हो. अब भारत फिर से एकत्रित हो रहा है और पांचवा उन्होंने कहा था कि अधिकार के साथ नागरिक कर्तव्य, यानी कर्तव्यबोध. पांचवा, जब यह हमारे सामने होगा, हमारा कर्तव्य तो हमें किसके लिये विशेषाधिकार चाहिए, कोई संशय हमारे मन में नहीं होगा. यानी

हमको जनता के हित के लिए जनता ने निर्वाचित करके सभा में भेजा है ताकि हम उनसे जुड़े प्रश्नों का समाधान कर सकें, इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए. कभी कभी भूल हो जाती है कि हमारे विशेषाधिकार मुख्य रूप से हमको जो दायित्व मिला है उसको निभाना है. इसलिए विशेषाधिकारों की चर्चा करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं तो मुझे लगता है कि हमको कोई दुविधा नहीं होगी और इस रूप में हम उसकी चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं .

वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के खण्ड 1, 2 एवं 3 के तहत हमारे जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उसकी विस्तृत चर्चा की गई है. हमारे श्री रविन्द्र यहां पर उपस्थित हैं, वह उसकी अवधारणा को पुष्ट करेंगे. लेकिन आम तौर पर दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं. एक तो हर सदस्य को मिला व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में सामूहिक विशेषाधिकार. व्यक्तिगत विशेषाधिकार यह है कि जब सदन चलना हो तो 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक जो क्रिमिनल केस के अतिरिक्त कोई मामले हों तो सिविल मामलों में आपको छूट मिलती है गिरफ्तारी से, यह नॉर्म्स हैं. जब सत्र चल रहा है तो आपको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाता है और फिर विधान सभा में आपकी कही बातों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और यह अधिकार इसलिए दिये कि आप जनता के हित को बेखौफ उठा सकें या कोई टीका-टिप्पणी आप पर बाहर न हो सके तो इसलिए यह प्रावधान मुख्य रूप से किये हैं. उसी तरह से यह ध्यान रखना चाहिए कि सामूहिक रूप से हमारे सदन का भी विशेषाधिकार होता है और हमारी और चर्चा की कार्यवाहियों पर अधिकार होता है सदन का और अध्यक्ष का कि उसको प्रकाशित करना, नहीं करना या हमारी जो समितियां होती हैं, उन समितियों में आपने किसी को बुलाया है, कोई उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और अगर उन्होंने उत्तर गलत दिया या उसकी गोपनीयता को बाहर जाकर भंग करते हैं तो ऐसे मामले में भी विशेषाधिकार होता है और सदस्यों और बाहरी लोगों के द्वारा भी विशेषाधिकार भंग का मामला आते रहा है, इसलिए मुख्य रूप से संसदीय विशेषाधिकार का आशय हमारे सदनों में, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और छूट प्रदान करना है. संविधान उन व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जो किसी सदन, किसी समिति के कार्यवाही में भाग लेने के हकदार हैं. इस रूप में भारत के महान्यायवादी जो एडव्होकेट जनरल हैं और केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी को इसके अंतर्गत विशेषाधिकार नहीं मिलता है, उनको इससे अलग संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मिलता है और इसीलिए एक बात बार-बार उठती है कि विशेषाधिकारों का कोडिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? यह चर्चा चलती रही है कि विशेषाधिकारों को लिखित रूप में

एक संहिता के रूप में एक कानूनी आवरण क्यों नहीं बनाया गया. इसको लेकर चर्चा लगातार चलती रहती है. लेकिन यह चीज ध्यान रखिए कि इस व्यवस्था में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक-दूसरे से परस्पर संबंध है. यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायापालिका इन तीनों के बीच के परस्पर संबंध का मुख्य उद्देश्य है जनता के हित में काम करना और यह जब हित सर्वोपरि होगा तो कहीं टकराव नहीं होगा. लेकिन फिर भी यह चर्चा मीडिया में बाकी जगहों पर चलती रहती है कि सदस्यों ने अपने लिये कोई कोडिफिकेशन नहीं किया है. मैं मानता हूं आज कि इसकी कोडिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है और इसलिए मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा डॉ. एम. हिदायतुल्लाह, हमारे चीफ जस्टीस रहे. हमारे राज्यसभा के उप सभापति रहे. उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रिविलेज पर ही कहा है कि यदि संसद और न्यायालयों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान है तो विशेषाधिकार के विषय से जुड़ी विधि को संहिताकरण करने की शायद ही कोई आवश्यकता है. संहिताकृत विधि से संसद और इसके सदस्यों और समितियों की निंदा करने वाले व्यक्ति अधिक लाभान्वित होंगे तथा न्यायालयों को अधिक हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया जाएगा. अगर हमने कोई लिपिबद्ध कोडिफिकेशन कर दिया तो प्रतिदिन आप जानिए कि किसी न किसी न्यायालय में कुछ न कुछ चलेगा और बाकी काम छोड़कर स्पीकर से लेकर, सदस्य से लेकर सब उसी प्रक्रिया में उलझे रहेंगे और यह कोई एमएलए या एमपी का कथन नहीं है यह भारत के चीफ जस्टिस, जिन्होंने मुख्य रूप से कानून की रक्षा की है और जो कानून की अवधारणा को समझते हैं, वह कहते हैं. इसीलिए वह कहते हैं कि उस समय दोनों पक्षों को उचित व्यवस्था देते हुए संसद के विशेषाधिकार के हनन और उसकी अवमानना के लिए दंडित करने के संसदीय अधिकार को अन्यथा के बजाय न्यायालयों का समर्थन प्राप्त होगा. एक लिखित कानून संसद और न्यायालयों की उस गरिमा को बनाए रखना कठिन बना देगा, वह गरिमा जो आधिकारिक रूप से संसद का अधिकार है और जिससे न्यायालय सदैव उत्साहपूर्वक वैसे ही बनाए रखेंगे जैसे वे स्वयं की गरिमा बनाए रखते हैं. यानि एक न्यायाधीश या न्यायालय अपने अधिकार चाहता है. उसी तरह का अधिकार चूंकि कानून बनाना हमारा काम है, कानून का पालन कराना कार्यपालिका का काम है और इन दोनों के विवाद के बीच न्यायालय का काम है तो कानून बनाने वाले पर ही कानून की बंदिश हो, यह उचित नहीं है लेकिन फिर यहां भाव समझना चाहिए कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सुपरमेशी है. हम आमतौर पर यह कहते हैं कि सांसद और विधायक सुप्रीम हैं. हम सुप्रीम नहीं हैं. हम जनता के हित में किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय करने की दृष्टि से, उसकी व्यवस्था देने की दृष्टि से और उसकी दिशा प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अंतिम कड़ी हैं. जहां कोई व्यवधान आने पर

समय-समय पर संशोधन हो सके, तो इस रूप में विशेषाधिकारों की चिन्ता करना और उसको कहना और इसीलिए डॉ.आम्बेडकर जी ने भी कहा कि संविधान में संसद को संप्रभुता दी गई है लेकिन उन्होंने एक बात कही और यह बात इसलिए उचित है कि संविधान की व्यवस्था कर दें, कॉडिफिकेशन कर दें. कानून अनेकों बने हुए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता. हमारे कोर्ट और न्यायालय में लगातार केस पेंडिंग रहते हैं इसलिए डॉ.आम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मैं मानता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा, खराब निकले, तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा. दूसरी तरफ अगर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों हो, लेकिन वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा, यदि वे लोग अच्छे हुए, तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा. इसलिए उन्होंने चेताया था कि संविधान का अमल केवल संविधान के स्वरूप पर नहीं, बल्कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे राज्यों के अंगों का प्रावधान कर सकता है लेकिन इसका संचालन लोगों की आकांक्षाओं और राजनीति की पूर्ति करने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है और इस उल्लेख में, जब आजादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं यहां पक्ष, विपक्ष के सभी लोग हैं, मैं एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि डॉ.आम्बेडकर जी के इस आलोक में आप अपने देश की चिन्ता करें और फिर यह विचार करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2047 के विकसित भारत का संकल्प क्यों लेना पड़ा. कौन-कौन से काम थे, जो संवैधानिक व्यवस्था होने के बाद भी हमने छोड़ दिया. कुछ किया, कुछ छोड़ दिया. इसलिए इस दृष्टि से जब हम विशेषाधिकारों की चिन्ता करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान भी बना रहेगा, हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी और इसी तरह से जो फिर एथिक्स की बात की है तो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होने के नाते संसद और विधानसभा के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनका नैतिक आचरण सदन के अंदर और सदन के बाहर एक ऐसा रूप स्थापित करे, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे. कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने लोकसभा की जो चर्चा की कि डेकोरम का पालन न करना, किसी सदस्य को निलंबित करना, सजा करना, दंडित करना, एक प्रकरण मेरे यहां भी हुआ है जिसकी सुनवाई मैं कर रहा हूँ. लोकसभा की चर्चा के दौरान गाली-गलौच करना, यह उचित नहीं है. अगर हमने अपनी नैतिक मर्यादा को समझ लिया कि हमारे नैतिक आचरण क्या हैं और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में 1996-97 में लोकसभा, राज्यसभा और फिर विधान सभाओं में एथिक्स कमेटी का निर्माण हुआ और यह इसलिए हुआ, पहले यह प्रीविलेज़ के साथ ही जुड़ा था, क्योंकि आजादी के बाद की जो पीढ़ी गई और उसके बाद जो पीढ़ी

आयी, उसमें कुछ तुरंत कुछ पा लेने की होड़ में लगे लोग जब राजनीति में आए, तो नैतिकता का जो पतन हुआ, उसको रोकने के लिए यह एथिक्स कमेटी बनानी पड़ी और इसीलिए माननीय अध्यक्ष 11वीं लोकसभा ने राज्यसभा की एथिक्स कमेटी बनाते समय यह कहा था कि पारिभाषिक रूप से आचरण एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है. यह हमारी चरित्रगत, नैतिकता और उत्तरदायित्व तथा औचित्यपूर्ण आचरण पर अमल से संबंधित नियमों से जुड़ा हुआ है. ऐसा कोई विधिक और तकनीकी मामला नहीं है, जिसे लागू किया जा सके. यह स्वैच्छिक रूप से ईमानदारी तथा निष्ठा का अनुपालन करता है. यानि यहां जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है जो हमारे समाज निर्माण की प्रक्रिया है उस ओर जब हम जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें नैतिकता का आभार मिलेगा और मैं 5 अगस्त, 2020, जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीराम जन्मभूमि राममंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, वहां से कोट करना चाहूंगा और इसलिए कोट कर रहा हूँ कि विरासत ने हमको सबकुछ दिया है. हमको अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, हमें अन्यत्र देखने की जरूरत नहीं है. हमारे अंदर का जो बैठा हुआ चित्त है, उसका जो विराट प्रकटीकरण हम कर सकते हैं जो 22 जनवरी 2024 को होना है, तो उससे हमको सीख लेनी है. यह संप्रदाय से परे उदाहरण है. इसको किसी धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर नहीं रोका जा सकता और इसलिए उन्होंने कहा था कि श्रीराम भारत की मर्यादा हैं, श्रीराम मर्यादा पुरूषोत्तम हैं और आज का यह दिन करोड़ों रामभक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है और आगे उन्होंने कहा कि राम की नीति और रीतियां सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रहीं हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इन्हीं सूत्रों को, इन्हीं मंत्रों के आलोक में रामराज्य का सपना देखा था और राम का जीवन और उनका चरित्र ही गांधी जी के रामराज्य का स्वरूप है और इस रूप में जब हम अपने नैतिक गुणों की चिन्ता करेंगे, नैतिकता को आगे बढ़ाने के रास्ते पर चलेंगे, तो हमको कहीं कोई दुविधा नहीं होगी कि हम किसके लिए काम करते हैं और महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि सिद्धांतहीन राजनीति एक सामाजिक श्राप है तो इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होती और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि राज नीति बिनु, धन बिनु धर्मा. अर्थात् नीति बिना राजनीति के और धर्म धन के अभाव में पदच्युत हो जाते हैं और इसी तरह से हमको आपके ध्यान में होगा कि अनेकों खासकर के लोकतंत्र के रूप में जब गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम जी की चर्चा करते हैं तो उन्होंने भरत से संवाद करते हुए कहा कि जौं अनीति कछु भाषौं भाई, तौ मोही बरजहु भय बिसराई. यानि हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति कीबात करता हूँ तो आप मुझे वहां उपस्थित होकर मुझे रोक देना. यानि नैतिकता वह व्यवस्था है जिसको हम अपने अंदर से किसके लिए कार्य कर रहे हैं, कौनसा उद्देश्य है और यहां

जब हम विचार करेंगे, तो गांधी जी और पंडित दीनदयाल जी दोनों का स्मरण जब करते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं और कोई दुविधा हो, तो अपनी आंखों को बंद करके हम यह स्मरण करें कि हम जो यह काम करने जा रहे हैं इससे अंतिम से अंतिम व्यक्ति का कितना लाभ होता है और उसी को पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि सत्ता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना यह सरकार का माध्यम हो, तो इस दृष्टि से हम जब काम करेंगे, तो कहीं कोई भी दुविधा नहीं होगी और इसीलिए जब मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का अभिषेक हो रहा था, तो गुरू वशिष्ट जी ने कहा था कि देखो राम, साधारण जनता ने भी ऐसा अनुभव किया है कि यह अभिषेक मानो उनका हो रहा है. तुम्हें भेदभाव से ऊपर उठकर सभी का ध्यान रखना होगा और प्रजारंजन तुम्हारा प्रमुख कर्तव्य होगा और श्रेष्ठ राज्य की नींव शासकों के व्यक्तिगत त्याग, मर्यादा और बलिदान पर रखी जाती है. तब मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम जी ने कहा था कि गुरूदेव प्रजा के अनुरंजन के लिए मुझे आपने सभी सुख माया-ममता और यहां तक कि सर्वाधिक प्रिय जानकी को भी त्यागना पड़े, तो रंज मात्र की भी चिन्ता न होगी.

तो यह परसेप्शन है राजनीति का. आपके बारे में अगर किसी ने एक बार परसेप्शन बना लिया तो इसलिये अपनी छबि के बारे में सोचना और नीतिगत आचरण कि कोई ऐसा प्रकरण नहीं हो कि आपके मामले जायें जिस तरह से अभी आपने देखा कि एक मामले में पश्चिम बंगाल की एक सांसद सदस्या की सदस्यता को निलंबित किया है. प्रश्न की चर्चा हो रही थी तो यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रश्न किसी के दबाव में नहीं करना, प्रश्न उठाते समय जनता का हित पहले रखना, किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रश्न न करना. इस तरह से कोई प्रश्न न आयें कोई समाधान न हों. छोटे छोटे से प्रोटोकॉल के मामले होते हैं उसमें यह जरूरी हैं. जैसे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है तो मैं जरूर अपेक्षा करूंगा कि यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं. भारत सरकार का जीओपीसी की गाईड लाईन प्रोटोकॉल से संबंधित समय समय पर रिवाईज्ड होता रहता है. उसका सभी अधिकारियों एवं हम सबको इसका ज्ञान होना चाहिये. इसलिये माननीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में अभी पिछले 2019 से 2020 प्राईज में एक काम जरूर प्रारंभ किया है कि जो भी नये अधिकारी आते हैं उनको हम परवीलेज एवं प्रोटोकॉल का ज्ञान जरूर देते हैं. इसीलिये प्रोटोकॉल के तहत कोई अधिकारी आपका जवाब नहीं देता है तो यह मामला निश्चित रूप से आपको माननीय अध्यक्ष जी या जो भी संबंधित प्लेटफार्म या समिति बनी है, जहां पर मामला उठाना चाहिये, यह बाध्यकारी है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर ज्यादातर

शिकायतें इसी की आती हैं आम तौर पर कि अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं. हमने कोई सार्वजनिक कार्य हेतु कहा तो मैं यह कहना चाहूंगा कि लोकसभा के अंदर भारत सरकार ने लोकसभा तथा राज्यसभा में यह चीजें तय हैं जैसे 3277 जिसमें हमारा प्रश्न उठाने की प्रक्रिया है उसमें मंत्री को व्यक्तिगत रूप से 90 दिनों के अंदर लिखित में जवाब देना पड़ता है. तो इस तरह की जो परिपाटी है उसको जरूर सम्पुष्ट करें. इस दृष्टि से हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से निश्चित रूप से अच्छा होगा. इसीलिये मैं अंत में गीता को कोड करते हुए. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते अर्थात् श्रेष्ठ पुरूष जो जो आचरण करता है. यानि कि आप सांसद है, विधायक हैं, जो इस राज्य का अथवा इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह श्रेष्ठ पुरूष हैं. अन्य लोग यानि कि जनसाधारण उसके आचरण का अनुगमन करते हैं, वह श्रेष्ठ व्यक्ति यानि जो माननीय हैं अपने आचरण से जो कुछ प्रमाण उपस्थित करता है. बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं. इसीलिये इस पर आप चलेंगे तो न विशेषाधिकार को लेकर के कहीं कोई चिन्ता होगी, न कोई नीतिगत् कोई इथिक्स को लेकर के कहीं दुविधा होगी. इसीलिये जो दीनदयाल जी ने एकात्म राष्ट्र की ओर इंगित किया है. जिसको दत्तोपंत ठेकरी जी ने थर्डवे के रूप में डिफाईन किया है. तो हम कह सकते हैं कि सर्वकालीन सत्य है और इसीलिये हम जब अपने व्यवहार को कार्य रूप में परिणित करते हैं तो इथिक्स, एज्युकेशन, इकोनॉमी, ईकोलॉजी इन सभी का एकात्मक स्वरूप भी मानव जीवन को जहां सफल बना सकता है, वही आपको भी यशस्वी बनाएगा और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय समय पर कहा है और जो भारत में अभी प्रकटीकरण हो रहा है. मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम, मर्यादा में कैसे चलना है, यह सिखाते हैं. यानि कि नीतिगत व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था. हमने कभी विचार नहीं किया कि अगर चार भाईयों का विश्लेषण कर लें तो राम अर्थात् धर्म, लक्ष्मण अर्थात् काम, तो इसीलिये राम के साथ बनवास लक्ष्मण जी गये, क्योंकि काम पर धर्म का अंकुश नहीं होगा तो रास्ता भटक जायेगा. तो लक्ष्मण जी के अनेकों प्रमाण मिलते हैं और उसी रूप में अगर चिन्ता करें तो शत्रुघ्न यानि अर्थ, सत्ता से परे रहकर भी सत्ता में बैठकर अर्थ का संचालन करना था इसीलिये वह अयोध्या में रहे, भरत यानि मोक्ष, यानि कि सत्ता में रहकर सत्ता से हटकर खड़ाऊ रखकर के राज चलाना तो इस दृष्टि से नीतिगत चिन्ता और इसकी आज जरूरत है. मैं इसीलिये कह रहा हूं कि कोई धार्मिक अथवा सम्प्रदायिक कथन नहीं हैं आज दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है. अनेकों देश युद्ध में रत हैं उन पर आप यदि ध्यान डालेंगे तो हमारी नीति, हमारे संस्कार, हमारा जो दायित्व है, हमारी जो विरासत है हमको यह सिखाती है कि एक भाई ने पिता के वचन को रखने के लिये राज्य का त्याग किया. यहां तो लोग अपने भाईयों का सर काट देते

हैं राज्य प्राप्त करने के लिये वहीं दूसरी तरफ एक भाई ने राज गद्दी मिलने के बाद भी उसको छोड़ा. माननीय अटल जी के एक पंक्ति याद होगी लोकसभा में अविश्वास मत प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि जो सत्ता नीति से अलग खरीद-फरोख्त पर मिले उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा. इसीलिये बिना नीति के राजनीति नहीं चल सकती है और नीति के लिये किसी का अनुसरण हमको नहीं करना है. हमारे जो अंदर विद्यमान है उस विराट स्वरूप को जागृत करना है और धीरे धीरे वह विराट जागृत हो रहा है. तो इस दृष्टि से मैंने इन विषयों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है और खास करके यहां पर दुविधाजनक स्थिति इसलिये भी थी कि यहां पर मेरे हाथ में भारी-भरकम कागज थे, क्योंकि यहां पर तो उनके बीच में बोलना है जिनसे हमने भी सीखा है. मंच पर भी और मंच के नीचे तो निश्चित रूप से मैंने एक प्रयास किया है. आशा है कि मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी तो इस रूप में हम विशेषाधिकार और हमारे नैतिक मूल्यों को हम लेंगे तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा और हम अपने कार्य को संकल्प से सिद्धि का रूप दे पायेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती पूजा उदासी (उद्घोषक)--धन्यवाद माननीय जी. हमारे प्रबोधन कार्यक्रम का द्वितीय दिवस अब अपने समापन की ओर है. इसी कड़ी में समापन उद्बोधन हेतु माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से सादर अनुरोध है.

अध्यक्ष महोदय--माननीय कैलाश जी अपना समापन करें इससे पूर्व एक आग्रह आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को अखबार के माध्यम से भी मालूम पड़ा होगा कि 7 फरवरी 2024 से 19 फरवरी, 2024 तक हमारा विधान सभा का सत्र होगा. इस सत्र में प्रश्नकाल भी होगा. प्रश्नों के फार्म विधान सभा में उपलब्ध हैं. मैं समझता हूं कि आज हमारे माननीय विधायकों का जो प्रबोधन कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् भोजन के पश्चात् संसदीय कार्य आज से ही फार्म लेकर के प्रारंभ करें जिससे समय सीमा के भीतर हम लोग अपने प्रश्नों को लगा सकें. माननीय कैलाश जी.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. कल से हम लोग यहां पर प्रबोधन कार्यक्रम में बैठे हुए हैं. इस प्रबोधन कार्यक्रम में बहुत ही उत्कृष्ट वक्ताओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है. इन कार्यक्रमों में आप जिन्दगी भर विद्यार्थी भाव से रहेंगे तो आप हमेशा ही सीखते रहेंगे. इसीलिये सबसे पहला सूत्र तो यह है जनप्रतिनिधि का कि जनप्रतिनिधि बन गये तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब आता है. जनप्रतिनिधि बने हैं तो हमें हमेशा विद्यार्थी भाव होना चाहिये. मैं भी दावे से कह सकता हूं कि मैं सात बार का विधायक हूं, पर कल से लेकर के आज तक मैंने भी

बहुत सारी चीजें नोट की हैं और मैंने भी यहां पर सीखा है कुछ और मेरे ख्याल से आपका भी अनुभव यह रहा होगा कि ऐसा मैं मानूं कि आपका भी अनुभव यही हैं. तालियां बजाकर आप लोग माननीय अध्यक्ष जी का अभिनन्दन करें, स्वागत करें. देखिये आपको मालूम है कि 45 मिनट का पीरियड क्यों होता है ? किसी को मालूम है ? पूरी दुनिया के अंदर 45 मिनट का एक पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि जापान में होता है, इंग्लैंड में होता है, आस्ट्रेलिया में होता है. मुझे एक सायक्लोलॉजी की प्रोफेसर ने बताया कि 45 मिनट पहले यदि व्यक्ति सुनेगा तो बहुत अच्छे तरीके से सुनेगा, एकाग्रता के साथ सुनेगा. दूसरे 45 मिनट में थोड़ा सा उधर पांव रखेगा, थोड़ा इधर की तरफ पांव रखेगा, थोड़ी वह झपकी भी ले सकता है और अगर तीसरा पीरियड भी 45 मिनट का है तो सभ्य समाज बैठा होगा तो सीधा बैठा रहेगा नहीं तो कई बार लोग जूता उतारकर भी फेंक देते हैं.

हम लोग 11:00 बजे से बैठे हुए हैं, ये चौथा पीरियड है और मैं भाषण दे रहा हूं, नेताओं को, नेताओं को भाषण देना, किसी नेता का जब भोजन तैयार हो और लंबा भाषण दें तो स्वस्थ आदमी को कुनेन की गोली जैसा लगेगा. मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, पर कुछ मेरे अनुभव बताना चाहता हूं. मुझे बहुत अच्छा लगा दो दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहां पर सभी सांसद, मिनिस्टर सब रहे, इस गंभीरता को आपने समझा. एक बार दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं. निश्चित रूप से इससे आने वाली विधान सभा की गरिमा बहुत बढ़ेगी. संसद की गरिमा बनती है, संसदीय आचरण और व्यवहार से और इसलिए हमने कल से बहुत सीखा है, जब विधान सभा चलेगी तब ये परिलक्षित होगा. हम सब जनप्रतिनिधि हैं. चुनाव जीतना निश्चित रूप से आज के समय में कठिन है, लेकिन जीतने के बाद जनता की सेवा करना और विश्वास जीतना उससे कठिन है. फिर इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं चुनाव जीतना निश्चित रूप से आज के समय में कठिन है, लेकिन जीतने के बाद जनता की सेवा करना और विश्वास जीतना उससे कठिन है. एक शब्द है, विश्वास जो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ रखता है. मैं उस जमाने में विधायक था जब मोबाइल, इलेक्ट्रानिक मीडिया नहीं था, अब ये तकनीकी का लाभ और नुकसान भी है. लाभ कैसे हैं कि हम सब विधान सभा में बैठे हैं. भाषण देंगे, माननीय अध्यक्ष जी ने अपने स्थायी आदेश में आप जो भाषण देंगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मात्र 100 रुपए लगेंगे. आपने एक भी बात वहां पर बोली और आप उस वीडियो को ले सकते हैं, अपने विधान सभा में चला सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए मैंने विधान सभा में इस समस्या के लिए ये विषय उठाया . 100 रुपए के अंदर आप अपने विधान सभा के अंदर सोशल

मीडिया में चला सकते हैं, उसके लिए अपनी विधान सभा के अंदर, सोशल मीडिया स्ट्रांग होना चाहिए, हर पोलिंग बूथ तक सोशल मीडिया की टीम हो कि हमारे द्वारा कही हुई बात वहां तक पहुंच जाए. पर इस तकनीकी का नुकसान भी होता है, एक बार मैं दिल्ली में था, मेरे एक मित्र सांसद थे, उन्होंने कहा हम चांदनी चौक पर थे, एक फोन आया उनका उत्तर प्रदेश के विधायक थे तो वे बोले कहां हो, वे बोले अयोध्या में, उन्होंने कहा कोई बात नहीं उन्होंने फोन बंद कर दिया उसके बाद फिर फोन आया अरे, आपने अयोध्या बताया और आपकी लोकेशन चांदनी चौक बता रही, वे बोले अयोध्या में भी चांदनी चौक है भाई, लेकिन अब आप किसी को ऐसे वेबकूफ नहीं बना सकते, आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी आराम से. पहले तो तकनीकी नहीं थी तो बहाने बना लेते थे, लेकिन अब बहुत सावधानी से जनप्रतिनिधित्व के कर्तव्य का पालन करना और इसलिए पारदर्शी जीवन बहुत जरुरी है. मैं चार पी के बारे में बताता हूं, एक पी है आपका पर्सनल जीवन कैसा है, आप समझते हैं कि आपको लोग देख नहीं रहे, पर आपको हजार आंखें देख रही हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, आप समझते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन सभी को पता है, एक सफल जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना पर्सनल जीवन भी बड़ा पारदर्शी होना चाहिए, लोग आपके पीठ पीछे कहे कि हमारा विधायक सिगरेट पी ही नहीं सकता, जैसे करण सिंह जी के बारे में कहते हैं कि वे चाय नहीं पीते किसी की, ये एक प्रतिष्ठा है. करण सिंह वर्मा जी को कितने लोग जानते है जरा हाथ उठाए, (कई सदस्यों द्वारा हाथ उठाया गया) कई लोग जानते हैं. उनके बारे में कहते हैं कि वे किसी की चाय नहीं पी सकते, ये प्रतिष्ठा अर्जित होती है, ये विश्वास अर्जित करना, जनता के बीच में बहुत जरुरी है, शब्द छोटा है, पर विश्वास अर्जित करना जनता के बीच में बहुत जरुरी है, शब्द छोटा है, तो अपना पर्सनल जीवन बड़ा पारदर्शी होना चाहिए. दूसरा, पी है, कई बार क्या होता है हम बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, पर ये बात ध्यान रखना आप पति भी है, पत्नी भी है, पिता भी है, भाई भी है, अपने जीवन का आत्मविश्लेषण करना की आप कितने भी बड़े नेता हो, सफल पिता है कि नहीं, सफल पति है कि नहीं, सफल भाई है कि नहीं, आप अपने भाई बहन के बारे में क्या सोचते हैं, नेता बड़े बन जाओ यदि घर के लोग दिल से सम्मान नहीं करते तो ऐसी नेतागिरी का कोई महत्व नहीं, इसलिए परिवार में हमारी भूमिका क्या है उसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए. मैं सफल नेता उसी को मानता हूं, जो अपने हर कर्तव्य का कार्य ईमानदारी से करें. तीसरा, पी भी इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है कि परिवार को राजनीति में कितना लाना चाहिए. मैं पिछली लोकसभा और विधान सभा के पहली बार के सांसद और विधायक की सूची देख रहा था कि वे दूसरी बार आए की नहीं आए, तो 30 से 40 प्रतिशत लोग ही

जीत पाए, उसका कारण क्या हुआ, जब मैंने उसका अध्ययन किया तो कोई अपने परिवार के कारण हारा, किसी ने अपनी पार्टी की नीति के साथ काम नहीं किया, पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, कोई अपने कार्यालय के कर्मचारी के कारण हारा, आप विश्वास करेंगे? आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए. मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहता, अभी एक बहुत बड़ा व्यक्ति सिर्फ अपने ऑफिस के कर्मचारियों के कारण हार गया. एक और व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के कारण चुनाव हार गया. हमारे परिवार का राजनीति में कितना उपयोग करना, कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, इस बात की हमें चिन्ता करनी चाहिए. चौथा पी है, पार्टी की विचार धारा क्या है, उसके अनुरूप आप कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे, कई बार मेरे बहुत सारे मित्र हैं, कांग्रेस में भी है, अरे यार, क्या करें यार हमारी पार्टी की नीति यही है कि हम मंदिर में नहीं जा सकते, पर अकेले में जाते हैं. मैं यहां का उदाहरण नहीं देता, बंगाल का उदाहरण देता हूं, वहां के हमारे साथ एक नगरीय प्रशासन मंत्री थे पिछली बार के, वे कम्प्युनिष्ट पार्टी के थे, दोस्ती के कारण मैंने उनको यहां बुलाया, वे महाकाल मंदिर गए, उनकी पत्नी ने पूजा की वे बाहर खड़े रहे, मैंने कहा आपकी इच्छा नहीं हो रही, बोले यार इच्छा तो हो रही पर हमारी पार्टी इजाजत नहीं देती मंदिर जाने की कई बार पार्टी के विचार धारा के विपरीत नहीं जाना, पर हमें दिल की बात भी करनी चाहिए कभी कभी. पार्टी के साथ रहिए पर अपने दिल की बात भी करिए, ये बहुत जरुरी है. हम अपने दिल की बात नहीं कर पाते. एक और बात कहना चाहता हूं, फिर इसको दोहराना चाहता हूं कि विश्वास बहुत छोटा शब्द है, और उसको अर्जित करना, उसके लिए तपस्या लगती है. पहली बार के माननीय विधायक कितने हैं जरा हाथ खड़ा कीजिए (कई माननीय सदस्यों द्वारा हाथ उठाया गया) काफी सदस्य है, विश्वास अर्जित करें, पहले घर में विश्वास, फिर कार्यकर्ताओं में, फिर जनता में विश्वास, कार्यकताओं में भी हमारा पारदर्शी जीवन होना चाहिए. कार्यकर्ता आपके नाम की कसम खा सके कि, नहीं, हमारा नेता ऐसा नहीं कर सकता, जब वह जनता के बीच में जाए, इसलिए हमें स्वयं को कार्यकर्ता और जनता के बीच में विश्वास अर्जित करने में तपस्या करनी पड़ती है, लंबा जीवन जीना हो तो ये तपस्या करना चाहिए. अंत में दो तीन बात और कहूंगा.

विधानसभा एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, बताईये इस प्रदेश की जनता कितनी है? साढ़े सात या आठ करोड़ हो सकती है. अब बताईये आठ करोड़ में से आप 230 लोग हैं, आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जनता ने आपको इस प्रदेश के विकास की चाबी सौंपी हैं, अपने क्षेत्र के विकास की चाबी सौंपी है और इसलिये इस प्लेटफार्म का अधिकतम उपयोग कैसे करना चाहिए? सारी

विधाएं बता दी गई हैं, प्रश्नकाल का क्या फायदा है? मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं, बड़ी हास्यास्पद है, एक याचिका देना पड़ती है, शायद अभी भी याचिका होगी. मैंने वर्ष 1998-99 में एक याचिका पेश की मेरी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के महापौर थे, मेरे क्षेत्र में एक पुलिया नहीं बन रही थी. याचिका की प्रक्रिया यह है कि अपने क्षेत्र के लोगों से हस्ताक्षर कराकर उस शिकायत को आप याचिका समिति में दे सकते हैं, तो याचिका समिति उस विभाग को बुलाती है और निर्देश देती है, बड़ी अच्छी प्रक्रिया है. हुआ यह कि मैंने याचिका दे दी कि मेरे यहां पुल बनना चाहिए, नगर निगम को पुल बनाना था, याचिका समिति ने कार्यवाही करके अधिकारियों को बुलवाया और आखिर में उन्होंने निर्णय दिया कि महापौर को निर्देश दिये जाते हैं कि यह पुल बनाया जाये और बनाकर विधानसभा को रिपोर्ट करें, तब तक मैं ही महापौर बन गया था. मैं वहां का महापौर बन गया था, कुल मिलाकर मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि विधानसभा से चला हुआ कागज कहीं रूकता नहीं है, इसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए, हर विधा का उपयोग करना चाहिए. यह जो दो किताबें आपको मिली हैं, एक श्री अवधेश प्रताप सिंह जी की भी बहुत अच्छी किताब है, पर उसको देखने से ही डर लगता है, क्योंकि वो इतनी मोटी है. यह जो दो किताबें छोटी-छोटी जो आपको मिली हैं, आप इन दोनों किताबों को पढ़ना, इसकी एक एक चीज को बारीकी से करना, यदि अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनना हो तो इन किताबों के अनुसार आप आचरण करें. मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, शेरनी का दूध, इस विधानसभा में शेरनी का दूध मिलता है, शेरनी का दूध पीते ही बच्चा दहाड़ता है, यहां पर भी शेरनी का दूध मिलता है, यहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लायब्रेरी में से एक विधानसभा की लायब्रेरी है, यहां आपने अध्ययन किया तो विधानसभा में आप शेर सरीके दहाड़ेंगे, शेरनी का दूध है लायब्रेरी. पुस्तकालय में वह सब सामग्री है, वहां संदर्भ शाखा है, संदर्भ शाखा में आपको शायद एक परिपत्र मिला होगा, प्रबोधन कार्यक्रम में सबको परिपत्र बांटा होगा, यह परिपत्र आप पढ़ना,इसमें पुस्कालय की जानकारी है. आपको किसी भी विषय पर बोलना है, आप संदर्भ शाखा में दे दीजिये कि मुझे पीडब्ल्यूडी के बारे में बोलना है, यह विषय है, मुझे पंचायत राज के बारे में बोलना है, यह विषय है, वह आपको फोटोकॉपी करके आपके घर पर भिजवा देंगे, जब आपके पास कागज मिल जायेंगे आप अच्छा बोल सकेंगे और इसलिए विधानसभा की हर विधा का उपयोग करो, एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने के लिये

बहुत व्यावहारिक रूप से थोड़ी सी मेहनत करके यदि आप काम करेंगे तो मेरा दावा है आप एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि बन जायेंगे.

हम सौभाग्यशाली इस बात के लिये हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बहुत रहे हैं, पर ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिनको लोकसभा की भी जानकारी है और विधानसभा की भी जानकारी है और जो पार्लियामेंट में संसदीय कार्यमंत्री भी रहे हैं. अभी मैं अध्यक्ष महोदय से बोल रहा था कि हमें एक काम करना चाहिए कि शून्यकाल प्रारंभ करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि हां हां हम बिल्कुल प्रारंभ करेंगे और नये लोगों को मौका देंगे, शून्यकाल जैसा लोकसभा में होता है, जिसमें लिखकर आप दे दें उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं और शून्यकाल में आप अपनी बात कहें. अब शून्यकाल में आपने कहा कि मेरे यहां रेल का फाटक नहीं है और रेल गुजरती है तो दुर्घटना होने की संभावना है, कृपया विधानसभा एक परिपत्र भेजकर रेल मंत्रालय को निवेदन करें, ऐसा आपने शून्यकाल में बोला, वह पत्र बकायदा रेल मंत्रालय को जायेगा और वह वीडियो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में दिखा सकते हो कि देखों मैंने आपके क्षेत्र के रेल्वे फाटक की बात उठाई है. सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग करना है, कल से लेकर आज तक इस विषय में बात हुई है, यह विषय अगली बार प्रबोधन में हम रखेंगे जनप्रतिनिधि को सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे अखबार हो गये हैं, इतने सारे मिसलीड करते हैं, पर अगर आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, आप अपनी बात रखेंगे तो आम जनता तक आपकी बात पहुंचेगी. मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम 230 लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, प्रदेश की साढ़े करोड़ जनता हमारी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखती है, हमारा दल देखता है, हमारे मतदाता देखते हैं और इसलिये इस प्रकार के प्रबोधन के बाद ही हम विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा बैठकर प्रेक्टीकल कर सकते हैं, यह तो थ्योरोटिकल हो गया जो हमने कल से आज तक बात की है, कल भी शायद अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब शीतला सहाय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है, विधानसभा में सुबह से लेकर शाम तक बैठो हम जब पहली बार विधानसभा में आये थे, हम सुबह 9 बजे आते थे और रात को 9 बजे जाते थे, डॉ.सीतासरन शर्मा और नरेन्द्र सिंह जी इसके साक्षी हैं. लायब्रेरी में तीन चार घण्टे बैठते थे, पढ़ते थे आज यदि हमने थोड़े बहुत एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमने पहचान बनाई है, तो उसका कारण है यह विधानसभा, विधानसभा में हमारी खूबी और इसलिये सभी माननीय नये विधायकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में उपस्थित रहे, ऐसा कोई आचरण न करें, जो असंसदीय हो. आचरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें गुस्सा आता है, कल

माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गुस्सा करना चाहिए, बाकी गुस्सा आना नहीं चाहिए, गुस्सा दिखना चाहिए पर गुस्सा आना नहीं चाहिए. यह सब चीजें हैं संसदीय मर्यादाओं की हैं, यह सब आप जब विधानसभा में बैठेंगे तो आप इसको सीखेंगे. मैं बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है अध्यक्ष जी आपके लिये और सिंह साहब आपके लिये, आपने बहुत अच्छा प्रबोधन का कार्यक्रम किया है और सबसे ज्यादा आप माननीय सदस्यों के लिये, मैं कम से कम चार, पांच, छः इस प्रकार के प्रबोधन देख चुका हूं, पर इतनी उपस्थिति वाला प्रबोधन वाला आज तक नहीं हुआ है, मैं वर्ष 1990 से विधायक हूं हर बार प्रबोधन कार्यक्रम होते हैं और हर प्रबोधन कार्यक्रम को मैं ज्वाईन करता हूं, पर इतनी बड़ी संख्या वाला प्रबोधन दो दिन तक पहले कभी नहीं हुआ, यह विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, की शालीनता और उनके प्रति लोगों का सम्मान है और इस विधानसभा सचिवालय की कर्मठता है, मैं अध्यक्ष जी आपको, सारे वक्ताओं को, विधानसभा सचिवालय को और आप सबको भी बधाई देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा -- बहुत-बहुत धन्यवाद कैलाश जी, मित्रों हम सबकी दो दिवसीय यात्रा अब पूर्णता की ओर है. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस पूरे प्रबोधन कार्यक्रम को सफलता के सौंपान तक पहुंचाने में जो भूमिका सदस्यों की, लोकसभा और विधानसभा के सचिवालय की रही है, उसकी मैं इस मौके पर भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं. इस पूरे कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिये हम सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिये और यह प्रबोधन कार्यक्रम आने वाले कल में भी प्रेरणास्पद बन सके, इस दृष्टि से जो हमारे अतिथियों की उपस्थिति रही है, उनमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, उत्तरप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय सतीश महाना जी, माननीय सत्यपाल सिंह जी, माननीय राजेन्द्र कुमार सिंह जी, माननीय सीतासरन जी शर्मा, माननीय सुनील सिंह जी और लोकसभा और विधान सभा के हमारे वक्तागण, विधानसभा के प्रमुख सचिव, इन सबने जो योगदान दिया है, मैं विधान सभा के प्रमुख के नाते इन सबके प्रति आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इन सबको आपकी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं.

इस पूरे कार्यक्रम में हमारे पत्रकार मित्रों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और ए.पी. सिंह जी को कहना चाहता हूं कि हमारे 69 विधायक पहली बार चुनकर आये हैं, मुझे लगता है कि एक पत्र भेजकर उनसे इस प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में अनुभव लेना चाहिये और साथ ही उनसे यह पूछना चाहिये कि अगर उनकी और जिज्ञासाएं हैं तो सिर्फ नये 69 विधायकों के लिये एक और प्रबोधन कार्यक्रम करना आवश्यक हो तो उस दिशा में हमें

सोचना चाहिये. हमारा 7 फरवरी से सत्र प्रारंभ होगा तो इस बार शून्यकाल प्रारंभ करेंगे और शून्यकाल में सभी लोगों को विषय उठाने की पात्रता तो रहेगी, लेकिन प्रमुख रूप से यह जो छोटा सत्र है इस सत्र में हमारे जो 69 नये विधायक आये हैं उनको बोलने की प्राथमिकता रहे और एक भी विधायक ऐसा न रहे जिसकी मेडन स्पीच न हो पाये यह हमको सुनिश्चित करना चाहिये.

अब भोजन का वक्त है और जरूरत भी है तो इसलिये मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुये एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथिगण, माननीय विधायकगण और माननीय पत्रकारगण ये चार श्रेणी के महानुभाव मेरी दायीं ओर जो सेंट्रल हाल का परिसर है जहां कल भोजन था वहां भोजन करने के लिये पहुंचेंगे और अन्य महानुभाव मेरी बाईं ओर जो हमारी केंटीन है उस परिसर में जाकर भोजन करेंगे जिससे कि संख्या के कारण कोई भोजन में अव्यवस्था न हो तो कृपया आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद.

प्रमुख सचिव, विधान सभा-- मैं अध्यक्ष महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है और अब राष्ट्रगान होगा, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जायें.

(सभागार में राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूह गान किया गया)

श्रीमती पूजा उदासी, उद्घोषक-- आज का यह प्रबोधन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, आप सभी माननीय यहां उपस्थित हुये, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार.

प्रबोधन कार्यक्रम की कार्यवाही 2.00 बजे स्थगित हुई.

*****